पी. एण्ड एस. बैंक

राजभाषा अंकुर

जून 2020

आपके विश्वास की नींव के साथ हम दृढ़ता से आगे बढ़ें हैं

On the foundation of your trust we have grown steadfast

24-06-2020

इस दिवस पर हम राष्ट्र की सेवा में स्वयं को पुनः समर्पित करते हैं

On this day, we rededicate ourselves to serve the Nation

113वीं स्थापना दिवस 1908-2020

113th Foundation Day 1908-2020

बैंक ने हॉल बाजार अमृतसर से वर्ष 1908 में अपनी यात्रा प्रारंभ की

BANK BEGAN ITS JOURNEY IN THE YEAR 1908 FROM HALL BAZAR AMRITSAR

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

जहाँ सेवा ही जीवन-ध्येय है

Punjab & Sind Bank

(A Govt. of India Undertaking)

Where service is a way of life

सामंजस्य एवं शान्ति के लिए योग

कोरोना महामारी...

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

Punjab & Sind Bank

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ

(भारत सरकार का उपक्रम / A Govt. of India Undertaking)

राजभाषा विभाग

बैठक एवं विमोचन

प्रधान कार्यालय, बोर्ड रूम में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए जून 2020 तिमाही की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एस. हरिशंकर जी ने की तथा कार्यकारी निदेशक डॉ. फरीद अहमद, श्री अजित कुमार दास, महाप्रबंधक तथा उच्चाधिकारियों ने सहभागिता की। कोविड–19 महामारी के कारण उपस्थिति सीमित रही। बैठक में ही राजभाषा अंकुर पत्रिका के मार्च 2020 के महिला सशक्तिकरण विशेषांक का विमोचन भी किया गया।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
प्रधान कार्यालय राजभाषा विभाग की हिन्दी पत्रिका
राजभाषा अंकुर
(केवल आंतरिक वितरण हेतु)
बैंक हाउस, प्रथम तल, 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली - 110008

जून 2020

मुख्य संरक्षक
एस. हरिशंकर
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संरक्षक
डॉ. फरीद अहमद
कार्यकारी निदेशक

श्री अजित कुमार दास
कार्यकारी निदेशक

मुख्य संपादक
श्री अमित श्रीवास्तव
उप महाप्रबंधक सह मुख्य राजभाषा अधिकारी

संपादक एवं प्रकाशक
श्री राजीव कुमार राय
वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा)

संपादक मंडल
डॉ. नीरू पाठक, प्रबंधक
श्री देवेन्द्र कुमार, प्रबंधक (राजभाषा)
श्री मोहन कुमार, राजभाषा अधिकारी
डॉ. कौशलेन्द्र, राजभाषा अधिकारी

ई-मेल : hindipatrika@psb.co.in
पंजीकरण सं.: एफ.2(25) प्रैस. 91
(पत्रिका प्रकाशन तिथि : 15/08/2020)

'राजभाषा अंकुर' में प्रकाशित सामग्री में दिए गए विचार, संबंधित लेखक के अपने हैं। पंजाब एण्ड सिंध बैंक का प्रकाशित विचारों से सहमत होना ज़रूरी नहीं है। सामग्री की मौलिक एंव कॉपी राइट अधिकारों के प्रति भी लेखक स्वयं उत्तरदायी है।

मुद्रक : जैना ऑफसेट प्रिंटर्स
ए 33/2, साइट–4, साहिबाबाद इंडस्ट्रीयल एरिया,
गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश
फोन नं. : 98112 69844
ई-मेल: jainaoffsetprinters@gmail.com

विषय सूची

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	संपादक मंडल	1
2.	संपादकीय	2
3.	कार्यकारी निदेशक– डॉ. फरीद अहमद	3
4.	कोरोना एवं अर्थव्यवस्था	4–5
5.	बैंकों में अनुपालन संस्कृति	6–8
6.	ग्राहक के मुख से	9
7.	सरकारी बैंकों का निजीकरण	10–14
8.	जरा सोचिए	14
9.	कोरोना संकट में बदलता बचपन	15–17
10.	वर्तमान सदी की चुनौतियाँ और हिंदी साहित्य	18–19
11.	सेवानिवृत्ति	20
12.	काव्य-मंजूषा	21
13.	हमें इन पर गर्व है	22–23
14.	पर्यावरण और कोविड–19	24–25
15.	हिंदी ई-टूल्स व इनके अनुप्रयोग	26–29
16.	लैंगिक समानता के माध्यम से ही.....	30–32
17.	अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस	33
18.	मानसिकता (पंजाबी लेख हिंदी रूपांतर सहित)	34–35
19.	एनपीए की वसूली के लिए वैधानिक प्रावधान	36–37
20.	संत चाचा फग्गूमल/कार्टून कोना	38–40
21.	बाबा साहब : बहुआयामी व्यक्तित्व	41–44

संपादकीय

प्रिय पाठको,

किसी भी देश की आर्थिक प्रगति में वहाँ की भाषा की भूमिका अत्यंत अहम होती है और जब बात बैंक की हो तो बैंक की प्रगति बैंक के ग्राहकों से आपसी संबंध पर आधारित होती है जिसमें भाषा की भूमिका सर्वोपरि है। आज के दौर में जब कोविड–19 महामारी से पूरा विश्व ग्रस्त है और लॉकडाउन के कारण सभी तरह की आवाजाही बंद है, आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत हमारा बैंक अपनी सकारात्मक भूमिका बखूबी निभा रहा है। आप सभी के योगदान के कारण ही यह संभव हो पाया है।

पत्रिका के प्रस्तुत अंक में राजभाषा हिंदी तथा बैंकिंग से संबंधित लेखों के साथ समकालीन परिस्थितियों के कारण कोविड–19 महामारी से संबंधित लेख, कविता इत्यादि भी प्रकाशित कर रहे हैं। इस अंक के विशेष आकर्षण है – श्री कामेश सेठी, महाप्रबंधक महोदय का लेख ''कोरोना एवं अर्थव्यवस्था'', डॉ. कौशलेन्द्र कुमार का लेख ''बचपन'', श्री प्रमोद कुमार यादव का लेख ''पर्यावरण ओर कोरोना'' तथा राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु श्री रूप कुमार का लेख हिंदी ''ई–टूल्स व इसके अनुप्रयोग''। पत्रिका में दिए गए सूत्र–वाक्य भी आपका ज्ञानवर्धन करेंगे। पत्रिका के बहुआयामी विकास के लिए आप सभी की सहभागिता आवश्यक है।

आशा है 'राजभाषा अंकुर' का यह अंक भी आपको पसंद आएगा। पत्रिका आपको कैसी लगी, कृपया हमें अपनी प्रतिक्रिया से अवश्य अवगत कराएं।

अमित श्रीवास्तव
उप महाप्रबंधक
सह मुख्य राजभाषा अधिकारी

डॉ. फरीद अहमद

कार्यकारी निदेशक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(17.02.2017 से 31.07.2020)

डॉ. फरीद अहमद जी ने दिनांक 17.02.2017 को हमारे बैंक में कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। इससे पूर्व कॉर्पोरेशन बैंक में 33 वर्षों में कृषि क्षेत्र अधिकारी (AFO) से महाप्रबंधक के पद पर उन्होंने सफलता पूर्वक बैंक सेवाओं का निर्वहन किया। तत्पश्चात् हमारे बैंक में उनकी कुल सेवा अवधि लगभग तीन वर्ष छह माह की रही। बैंक में अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बावजूद डॉ. फरीद अहमद जी ने सन् 2017 में पूर्णिमा यूनिवर्सिटी, राजस्थान से ''निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में आस्ति गुणवत्ता के प्रबंधन की मॉडलिंग" विषय में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। देश में नोट–बंदी, अर्थव्यवस्था में उतार–चढ़ाव, जीएसटी, और अब कोरोना वायरस, इन प्रतिकूल परिस्थितियों में बैंक ने उनके मार्ग–दर्शन में विभिन्न क्षेत्रों में अनेक उपलब्धियाँ हासिल की हैं।

19 सितंबर 2017 को एशिया पेसेफिक एच. आर. एम. कांग्रेस के 16वें संस्करण में डॉ. फरीद अहमद जी को मानव संसाधन में भारत के सर्वश्रेष्ठ नेता का पुरस्कार प्रदान किया गया।

वर्ष 2017–18 के दौरान डॉ. फरीद अहमद जी के नेतृत्व में बैंक में किए गए सर्वश्रेष्ठ राजभाषा कार्यान्वयन हेतु, डॉ. वैंकेया नायडू, उप राष्ट्रपति, भारत सरकार द्वारा बैंक को विज्ञान भवन में आयोजित भव्य समारोह में कीर्ति शील्ड (द्वितीय पुरस्कार) प्रदान किया गया।

बैंक को प्रधानमंत्री जन–धन योजना के श्रेष्ठ कार्यान्वयन हेतु SKOCH एवार्ड प्राप्त हुआ।

एमएसएमई के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य हेतु बैंक को भारतीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम चैम्बर द्वारा आयोजित भव्य समारोह में श्री गिरिराज सिंह (लोकसभा सदस्य) द्वारा माइक्रो क्रेडिट कैटेगरी मे दिनांक 20.07.2018 को एमएसएमई बैंकिंग एक्सेलेंस अवार्ड प्रदान किया गया।

बैंक परिवार आपके अनुपम योगदान और मार्गदर्शन के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता है और आपके स्वस्थ, उज्ज्वल तथा समृद्ध सेवानिवृत्त जीवन की कामना करता है।

कामेश सेठी

कोरोना एवं अर्थव्यवस्था

कोरोना ने एक वैश्विक आतंक के वातावरण की उत्पत्ति की है। इस आतंक ने भयानक अनुपात में रूप ग्रहण कर लिया है एवं इससे किसी भी प्रकार की राहत नहीं दिख रही है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक अत्यंत सूक्ष्म वायरस इतना शक्तिशाली हो गया कि पूरी दुनिया जीवन को बचाने के लिए घर के अंदर छिपी हुई है। वास्तव में यह अत्यंत ही भयावह स्थिति है ! सोशल मीडिया इस महामारी के लिए चीन को सक्रिय रूप से दोषी ठहरा रहा है और पूरे विश्व को एक भयानक अनिश्चितता में डाल रहा है।

आज हर जगह निराशा और आतंक ही फैला है। पूरी दुनिया स्थिर है। कोई सार्वजनिक परिवहन नहीं, न ही कोई काम, केवल समाचार चैनल कोरोना समाचार के साथ प्रस्तुत हैं। दुनिया ने कभी भी इस तरह के संकट की उम्मीद नहीं की थी। हम कोरोना के वजह से हुए लॉक डाउन (तालाबंदी) के कारण आई मौजूदा मंदी के केस कैडींग प्रभाव को देखने में असमर्थ हैं। मानव जीवन को बचाने के लिए एवं महामारी के आगे प्रसार को रोकने के लिए सख्त लॉकडाउन अनिवार्य है। लेकिन कोविद – 19 के कारण जारी लॉकडाउन दुनिया को अपंग बना रही है। इस अभूतपूर्व लॉकडाउन के कारण भारत एवं विश्व की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को हम आगे समझने का प्रयास करते हैं:–

लॉकडाउन का बैंकों पर प्रभाव : भारत में बैंकिंग उद्योग पर लॉकडाउन का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। एम.एस.एम.ई. क्षेत्र जो पूरी तरह से दैनिक व्यवसाय– बिक्री एवं संग्रह पर निर्भर करता है, उसे गहरा झटका लगेगा। मुद्रा ऋण का भविष्य अंधकार में है और वर्तमान में एन.पी.ए. के मानदंडों के अनुसार इसके 60% से भी अधिक ऋण का एन.पी.ए. होने की संभावना है। मुद्रा उधारकर्ताओं के अलावा अन्य छोटे व्यवसाय जैसे– खोमचावाला, पुचकावाला, भुजियावाला, खिलौने की दुकानें, स्टेशनरी की दुकानें, महिलाओं के परिधान संबंधी दुकानें, जूते एवं चमड़े के सामान के दुकान, आभूषण की दुकानें, पान और सिगरेट की दुकानें, चाय की दुकानें, स्नैक्स कार्नर एवं ऐसे और अनेक असंगठित क्षेत्र के व्यवसायी भी इसके प्रकोप से बुरी तरह प्रभावित होंगे। इस प्रकार ये व्यवसायी बैंकों को उनके शर्तानुसार अनुपालन करने की स्थिति में नहीं होंगे और परिणामस्वरूप बैंकों को बड़े पैमाने पर डिफॉल्ट की मार झेलनी पड़ेगी।

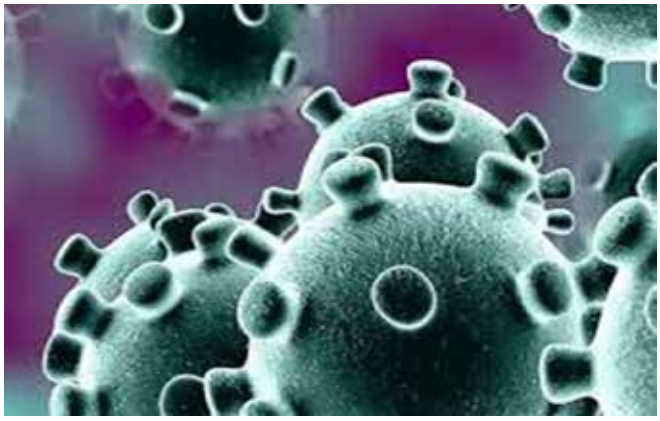

उपरोक्त शामिल सभी क्षेत्रों में प्रयुक्त कच्चा माल के उत्पादक भी इससे बुरी तरह प्रभावित होंगे और यह स्थिति बैंकिंग उद्योग को और भी समस्या में डाल देगा। विभिन्न राज्य सरकारों एवं केंद्र सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी है कि किसी भी कंपनी के कर्मचारियों की कोई वेतन कटौती नहीं होगी। किन्तु असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत लोगों का क्या होगा जिनके लिए दैनिक नकदी (लेन–देन) या लाभ सृजन उनकी आजीविका हेतु आवश्यक है। वास्तव में, बैंकिंग उद्योग किसी भी क्षेत्र के निराशाजनक प्रदर्शन से प्रभावित होता है क्योंकि लगभग सभी क्षेत्रों में बैंक अर्थात आम जनता का पैसा शामिल होता है। तथापि कुछ सेक्टर ऐसे भी रहे, जो कोरोना संकट से अछूते रहे जैसे – फार्मासुटिकल, दूध उत्पाद, सब्जियाँ, फल, किराने के दुकान आदि।

विनिर्माण इकाइयां एवं अन्य सेवा उद्योग – विनिर्माण और सेवाओं से जुड़ी कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उनकी निश्चित लागत निधि बिना किसी प्रवाह के जारी रहेगी जिसके परिणामस्वरूप उनपर बोझ बढ़ेगा।

वायुयान, परिवहन एवं पर्यटन, होटल – लॉकडाउन के कारण सभी उड़ानों और यात्री ट्रेनों को निलंबित कर दिया गया है। कोई बस सेवा, उबर या ओला टैक्सी जैसी सुविधा भी नहीं है। इन क्षेत्रों से जुड़े मजदूर बहुत बुरी तरह प्रभावित हैं। ई. एम. आई. और बैंक ब्याज बोझ के रूप में रहेगा लेकिन वे किश्तों का भुगतान करने के लिए आय कैसे उत्पन्न करेंगे ? होटल पूरी तरह से बंद हैं एवं पर्यटन से संबन्धित लोग बहुत ही बुरी तरह प्रभावित हैं। इसके अतिरिक्त, इन उद्योगों के संपार्श्विक या संबद्ध क्षेत्र जैसे बुकिंग एजेंट, खाद्य श्रृंखला, आपूर्तिकर्ता, ऑटो रिक्शा, इवेंट मैनेजर इत्यादि को आय का बहुत बड़ा नुकसान होगा।

अन्य उद्योग – मनोरंजन उद्योग (सिनेमा, चलचित्र बनाना और उनके सहायक), मैरिज हॉल एवं अन्य इवेंट हाउस, खेलकूद के सामान की दुकानें और उत्पादक, एम्यूजमेंट पार्क एवं ऐसे और अनेक उद्योग अत्यंत गंभीर परिणामों से प्रभावित होंगे। इस पूर्ण तालाबंदी के कारण सरकारी राजस्व भी पूरी तरह से कम हो जाएगा, क्या सरकार उन्हें इस स्थिति से बाहर निकाल सकती है या रोकने में सक्षम है ? टिकट बुकिंग या होटल या अन्य बिल पर कोई जी. एस. टी. नहीं। इस प्रकार सरकारी खजाने को होने वाले भारी नुकसान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अंततः ऐसी स्थिति भी आ सकती है जब बाजार में अतिरिक्त तरलता के लिए सरकारी संस्थाओं का निजीकरण करना भी सरकार की विवशता होगी एवं मुद्रा को छापकर हेलीकॉप्टर मनी द्वारा बाजार में अधिक तरलता की व्यवस्था करनी पड़ेगी। वास्तव में, कोरोना के बाद के नतीजे आज के प्रत्याशित नुकसान से कहीं ज्यादा गंभीर हो सकते हैं जिसकी कल्पना करना अत्यंत कठिन है।

महाप्रबंधक, मानव संसाधन विकास विभाग

आजाद हिंदोस्तान की अब बेबसी ऐसी न हो,
लहू की नदियां न बहें, चेहरों पर मायूसी न हो।

आओ के मिल जाएं, सभी इस मुल्क की खिदमत करें,
खेतों में खुशहाली रहे, कोई गली भूखी न हो।

इल्म की दौलत की हर शमा को हम रोशन करें,
ईमान को कायम रखकर, नफरत की बदहाली न हो।

मजहब की दीवार को मिलकर हम जरा नीचे करें,
जज्बात सब जिंदा रखें, इंसानियत की तंगी न हो।

ये मुल्क हिंदू का भी है, ये मुल्क मुसल्मां का भी है,
होली के रंग खिलते रहें और ईद भी फीकी न हो।

आजाद हिंदोस्तान की अब बेबसी ऐसी न हो,
लहू की नदियां न बहें, चेहरों पर मायूसी न हो।

अली अहमद
आँचलिक कार्यालय लुधियाना

दिनेश गोयल

बैंकों में अनुपालन संस्कृति

अनुपालन की भूमिका पर सभी सरकारी, अर्ध–सरकारी एवं निजी क्षेत्र का ध्यान पहले की अपेक्षा लगातार बढ़ता जा रहा है और सभी हितधारक इस तथ्य की ओर विशेष ध्यान देते है। बैंकिंग क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। मैं इस लेख के माध्यम से इस बहुत ही आवश्यक विषय जोकि आजकल बहुत चर्चित भी है पर आप सबसे चर्चा करूंगा।

अनुपालन

अनुपालन की परिभाषा "सभी कानूनों, नियमों एवं आचार संहिताओं का पूर्ण रूप से पालन करना" है। बैंकों को विभिन्न परिचालनों से संबंधित कानूनी नियामकों एवं पर्यवेक्षीमुद्दों का पालन करना होता है। अनुपालन निरीक्षण से अलग है। निरीक्षण विभाग किसी घटना के बाद जांच करता है कि दिशानिर्देशों का पालन हुआ या नहीं। अनुपालन का काम ऐसे नियंत्रण लगाने पर होता है जिससे दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। ऐसा कहा जाता है कि "रोकथाम, इलाज से बेहतर है"। अनुपालन के मामले मे भी यह बिल्कुल सत्य है।

बैंकों मे अनुपालन का इतिहास

अनुपालन क्रियाकलाप पहले अन्य प्रणालियों एंव प्रक्रियाओं में एकीकृत होता था। बैंकिंग परिचालन के अधिक जटिल होने से अनुपालन एक स्वतंत्र कार्य के रूप में उभर के आया। भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त 1992 में बैंकों में "अनुपालन अधिकारी" की प्रणाली की शुरुआत की थी। 1995 में अनुपालन अधिकारियों की भूमिका केंद्र में आ गयी। निरीक्षण विभाग के महाप्रबंधक को अनुपालन कार्यों के लिए जिम्मेदारी दी गयी और उन्हें सीधे अध्यक्ष एंव प्रबंध निदेशक को समय–समय पर रिपोर्ट देने को कहा गया। धीरे–धीरे ये समझ आने लगा कि अनुपालन कार्यों का दायरा न केवल बढ़ाए जाने की बल्कि इसे स्पष्ट रूप से पारिभाषित किए जाने की भी आवश्यकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2007 में अनुपालन ढांचे पर अपने दिशानिर्देश जारी किए। हमारे बैंक में भी वर्ष 2007 में इन्हे लागू किया और इस समय अनुपालन विभाग एक स्वतंत्र विभाग के रूप में कार्य कर रहा है।

अनुपालन की आवश्यकता

सभी कानून/दिशानिर्देश बैंक की आंतरिक प्रणाली मे समायोजित किए जाएं और ऊपर से नीचे तक सभी कर्मचारी अनुपालन को महत्व दें, यही अनुपालन की सटीक भूमिका है। एक अच्छी अनुपालन संस्कृति कई तरह से संस्था को लाभ पहुँचा सकती है, जैसे रू

1. **कम संगठनात्मक जोखिम एंव व्यक्तिगतजोखिमः**

   किसी भी संगठन जिसमे अच्छी अनुपालन संस्कृति है, उस संगठन के विपरीत परिस्थितियों में भी बने रहनेकी संभावना बहुत ज्यादा होती है। यह बात व्यक्तिगत स्तर पर भी लागू होती है जो कर्मचारी सभी दिशानिर्देशों की अनुपालना करता है, वह अनचाही स्थितियों से बचा रहता है।

2. **कम प्रतिष्ठा जोखिम :**

   जन साधारण में संगठन के प्रति विश्वास को बनाये रखना एक चुनौती होती है। अच्छी अनुपालन संस्कृति किसी भी संस्था या संगठन की प्रतिष्ठा को गैर–अनुपालन से होने वाली हानि से बचाती है। निर्धारित मानक संचालन प्रकियाओं का अनुपालन संगठन को होने वाले प्रतिष्ठा जोखिम से बचाता है।

3. **कर्मचारियों में काम करते समय कम संदेह और ज्यादा आत्मविश्वास**

   जिस संगठन में प्रणालियां और प्रक्रियाएं तय होती हैं और दिशानिर्देशों का रोजमर्रा के कार्यों में अनुपालन होता है वहां अपने कार्यों को करते हुए कोई भी कर्मचारी हिचकता नहीं है और आत्मविश्वास के साथ, बिना किसी संदेह के बेहतर कार्य–दक्षता के साथ संगठन के विकास के लिए अपना योगदान देता है।

4. प्रतिभा को आकर्षित करने एवं उसे बनाए रखने मे सहायक

यह एक सत्य है कि केवल मौद्रिक लाभ किसी कर्मचारी को लंबे समय तक संगठन के साथ जोड़ कर नहीं रख सकता। कोई भी व्यक्ति जब किसी संगठन के साथ जुड़ता है तो वह मौद्रिक लाभों के साथ–साथ उस संगठन की कार्य संस्कृति का भी मूल्यांकन करता है। अगर अनुपालन संस्कृति अच्छी हो तो प्रतिभावान कर्मचारी उससे जुड़ना चाहते हैं और वर्तमान कर्मचारी जुड़े हुए रहना चाहते हैं।

5. बेहतर पारदर्शिता जोकि बेहतर निर्णय मे सहायक होगी:

किसी भी संगठन जिसकी अनुपालन संस्कृति अच्छी है, वहां सभी कार्यों तथा प्रक्रियाओं के लिए तय मानक संचालन प्रक्रियाएं होती हैं। किस परिस्थिति में क्या करना है, कैसे करना है, किसकी अनुमति से करना है, सब कुछ पहले से परिभाषित होता है। ऐसे संगठनों में निर्णयों में बेहतर पारदर्शिता होती है और समय से निर्णय लिए जाने की संभावना रहती है।

6. नियामकों एवं अन्य हितधारकों के साथ अच्छे संबंध बनाने मे सहायक:

नियामकों की उसके द्वारा निगरानी किये जाने वाले संगठनो से सबसे महत्वपूर्ण अपेक्षा यही होती है कि वह संगठन उसके द्वारा जारी किये गए सभी दिशानिर्देशों का सच्ची भावना से अनुपालन करते हुए और सभी हितधारकों का ध्यान रखते हुए अपना कार्य करे। अगर अनुपालन संस्कृति अच्छी है तो निश्चित रूप से नियामकों के साथ संबंध भी अच्छे होंगे और सभी हितधारकों का हित भी सुरक्षित रहेगा।

7. निवेशकों का बढ़ा हुआ विश्वास

किसी भी संगठन की कार्य–दक्षता और उसकी शक्ति का एक महत्वपूर्ण संकेतक उस संगठन के प्रति निवेशकों की सोच है। संगठन कितना भी अच्छा हो लेकिन अगर निवेशकों का विश्वास न जीत पाए तो वह संगठन बाजार में ज्यादा टिक नहीं पाता है। जिस संगठन का अनुपालन स्तर अच्छा होता है और सभी नियामक की दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है, वह नियामकों द्वारा दंडात्मक कार्यवाही से बचा रहता है। इससे निवेशकों का विश्वास संगठन के प्रति बना रहता है।

बैंक में अनुपालन संबंधी आंतरिक कार्यप्रणाली : सामान्य रूप से बैंक में अनुपालन संबंधी गतिविधियाँ भारतीय रिजर्व बैंक से आवश्यक निर्देश प्राप्त होने के पश्चात ही प्रारंभ हो गया था लेकिन औपचारिक रूप से वर्ष 2009 में बैंक में अनुपालन विभाग की स्थापना होने से अनुपालन को एक नया आयाम मिला। प्रधान कार्यालय अनुपालन विभाग, आरबीआई के दिशानिर्देशों का दैनिक आधार पर अवलोकन करता है तथा उनसे प्राप्त निर्देशों के अनुसरण में बैंक के लिए परिपत्र/परिसंचारी पत्र के माध्यम से आवश्यक आंतरिक निर्देश जारी करता है।

इसके साथ ही प्रत्येक तिमाही समाप्ति पर प्रधान कार्यालय के समस्त विभागों/आंचलिक कार्यालयों से तिमाही अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त की जाती है। इसके पश्चात संबंधित विभागाध्यक्षों/अंचल प्रमुखों को उनके रिपोर्ट में उल्लिखित गैर–अनुपालन के लिए संशोधन हेतु पत्र भेजे जाते हैं। अनियमितताओं को दूर करने के बाद ही तिमाही अनुपालन रिपोर्ट में वर्णित सामान्य अनियमितताओं को तिमाही आधार पर एसीबी के समक्ष रखा जाता है।

प्रधान कार्यालय के समस्त विभागों में नोडल अनुपालन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं जो तिमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए अपने विभागाध्यक्ष के साथ संयुक्त रूप से जवाबदेह होते हैं।

बैंक में अनुपालन नीति की समीक्षा वार्षिक आधार पर की जाती है और संशोधित नीति को अनुमोदन और कार्यान्वयन हेतु बैंक के बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों द्वारा आरबीआई/वित्तीय सेवाएं विभाग को प्रेषित किए जाने वाले आवधिक विवरणियों की स्थिति की निगरानी कैलेंडर आधार पर की जाती है।

इसके अतिरिक्त अनुपालन के कार्यों को गति देने के लिए बैंक में सुझाव कक्ष की भी स्थापना की गई है जिसमें बैंक के कर्मचारी, संगठन के कार्यों के सुचारू रूप से चलाने व बैंक के ग्राहको को अच्छी सुविधा प्रदान करने के साथ ही संगठन से संबंधित अपने अन्य सुझाव प्रबंधन को दे सकते हैं। यही नहीं बैंक ने कार्मिकों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन राशि भी निश्चित की हुई है। कार्मिकों द्वारा दिए गए सुझाव यदि प्रबंधन की दृष्टि में अच्छे/लाभप्रद/उचित होते हैं तो बैंक द्वारा उन्हें प्रशंसा–पत्र प्रदान किया जाता है। जब मैं बैंक में वरिष्ठ प्रबंधक के पद पर था तो उस दौरान मैंने परामर्श कक्ष के माध्यम से अपने कतिपय सुझाव दिए थे जिसके लिए मुझे प्रशंसा–पत्र तथा प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई थी। इस प्रकार प्रोत्साहन राशि प्रदान करके बैंक अपने कार्मिक को अपने सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित तो करता ही है इसका एक पक्ष यह भी है कि इसके कार्मिक स्वयं संतुष्ट होते हैं और संतुष्ट कार्मिक अपने कार्य को अपेक्षाकृत अधिक निपुणता के साथ निष्पादित करता है।

गैर-अनुपालन (नॉन कम्प्लायंस) के दुष्परिणामः

कमजोर अनुपालन संस्कृति के कारण बैंक को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। नियामकों द्वारा निर्देशों/दिशानिर्देशों/नियमों का पालन न करने पर लगाया गया दंड और उससे जुड़ी हुई जन साधारण में छवि को हुई हानि बैंकों के संभावित अनुपालन जोखिम का संकेतक है। किसी भी संस्था के प्रति जनता की धारणा पर इसका बहुत असर पड़ता है। सन् 2018 मे हुए बैंकिंग क्षेत्र के सबसे बड़े घोटाले के बाद उस बैंक की छवि को हुए नुकसान को भला कौन भुला सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 01–07–2019 से 30–06–2020 के दौरान 36 अवसरों पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर दिशानिर्देशों का पालन न करने की वजह से रुपये 52.80 करोड़का मौद्रिक दंड लगाया और इसमे हमारा बैंक भी अपवाद नहीं है।

व्यक्तिगत स्तर पर भी अनुपालन का बहुत महत्व है। हम प्रायः बैंकों में कर्मचारियों पर हुए अनुशासनात्मककार्यवाही की बढ़ती हुई संख्या के विषय में सुनते हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि जबतक किसी भी कार्य या प्रणाली मे कोई गैर–अनुपालन (नॉन कम्प्लायंस) ना हो, अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं होती। हम सब मिलकर नियामकों और बैंक के आंतरिक दिशानिर्देशों का अनुपालन करें तो यह संस्थान के साथ–साथ हमारे व्यक्तिगत हित में होगा।

यह सत्य है कि व्यक्ति नियमों का पालन ज्यादातर डर की वजह से ही करता है। अब हम मुख्य कार्यालय की इमारत में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का ही उदाहरण लें। कोविड–19 महामारी से पहले जब यह प्रणाली कार्यरत थी तो सभी कर्मचारी किसी भी तरह निर्धारित समय से पहले अपनी उपस्थिति लगाने की कोशिश करते थे ताकि उनका नाम देरी से आने वाले कर्मचारियों की सूची में ना आ जाए। जब यह प्रणाली लागू नहीं थी तब इस बात का लोग नाजायज फायदा उठाते थे कि उनके देरी से आने को कहीं लिखित रूप मे दर्ज नहीं किया जा रहा है।

यातायात के नियमों का पालन भी इसका एक अच्छा उदाहरण है। यातायात के नियम और उनके उल्लंघन पर लगने वाला दंड पूरे देश मे लगभग समान है। फिर भी जब कोई वाहनचालक चंडीगढ़ में प्रवेश करता है तो अचानक से यातायात नियमों का बड़े ध्यान से पालन करने लगता है क्योंकि उसे पता है कि वहाँ नियमों का पालन न करने पर तुरंत ही जुर्माना लगा दिया जाएगा। इससे यह पता चलता है कि अनुपालन डर की वजह से हुआ। तुलसीदास जी रचित महाकाव्य रामचरितमानस के सुंदरकांड में एक दोहे–

विनय न मानत जलधि जल, गए तीन दिन बीत।
बोले वचन सकोप तब. भय बिनु होहिं न प्रीति।।

में अनुपालन और डर के बीच समन्वय को बड़े ही सुंदर ढंग से उद्धृत किया गया है

हम में से ज्यादातर अपने बिजली के बिल, टेलीफोन बिल इत्यादि समय से इसलिए भरते हैं क्योंकि हमें देरी से भुगतान पर जुर्माना देना पड़ता है अगर हमें जुर्माना ना देना हो तो हम शायद ही समय पर भुगतान करें।

निष्कर्ष

तेजी से बदलते हुए नियमों के अनुपालन के लिए दंड और जुर्माने का डर ही काफी नहीं है। किसी भी कार्य को 'उत्साह' से करना चाहिए न कि 'दबाव' से। जब तक हम किसी काम को दिल से नहीं करेंगे और भार समझेंगे तो कार्य में गुणवत्ता नहीं आएगी। अनुपालन हमारी दैनंदिनी के काम का हिस्सा होना चाहिए। रोजमर्रा अनुपालन का अभ्यास दिल से करेंगे तो हमारी कार्य–दक्षता में वृद्धि होगी। अनुपालन मजबूरी से ज्यादा हमारी आवश्यकता है।

मैंने लंबे समय तक सतर्कता विभाग में भी कार्य किया है और उस समय अधिक दुख होता था जब मेरे सह–कर्मियों को सही ढंग से अनुपालन न करने के कारण कहीं न कहीं भारी दंड का भागीदार बनना पड़ता था। मेरा यह मानना है कि यदि हम नियामकों और आंतरिक दिशानिर्देशों का सही अर्थ में अनुपालन करें तो अपने निजी जीवन में और तरक्की करेंगे और अपने प्यारे बैंक को नई ऊंचाइयों पर ले जा पाएंगे।

मुख्य अनुपालन अधिकारी
प्रधान कार्यालय, अनुपालन विभाग

जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव लगता है

राजेश कुमार ग्रोवर

ग्राहक के मुख से

महोदय,

''आज के इस दौर में बिना बैंकिग के जीवन को आगे बढ़ाना संभव ही नहीं है। बैंकिंग हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी है। वास्तव में पुराने समय से ही बैंकिंग हमारे जीवन में आ चुकी थी किन्तु इस समय में बैंकिग क्षेत्र में कई नए आयाम स्थापित हो चुके हैं। बैंकिग क्षेत्र में नई–नई तकनीकी का प्रयोग इतना बढ़ चुका है कि आज व्यक्ति को बैंक में आने–जाने की जरूरत ही नही पड़ती। आज विज्ञान की इतनी नवीनतम तकनीकी बैंकिग क्षेत्र में आ चुकी हैं कि मनुष्य अपने घर पर बैठे–बैठे ही गूगल ऐप, फोन पे, पे टी एम आदि की इतनी सुविधा हो चुकी है कि व्यक्ति को बैंक में जाने की जरूरत ही नही है।'' एक वह समय था, जब बैंक की शाखाएं सीमित थी और ग्राहक भी सीमित ही थे। उस समय में लोग बैंक से भावनात्मक रूप से जुड़ना चाहते थे। कुछ ऐसा ही मेरे पिताजी के साथ हुआ। उन्होंने 1999 में आर.सी.बी शाखा, फरीदकोट में अपना खाता खुलवाया। खाता ऐसा खुला कि बैंक में आना–जाना हमेशा लगा ही रहता, बैंक के तत्कालीन स्टाफ के साथ रिश्ते भी मधुर होते गए। सभी स्टाफ सदस्यों ने भी बड़ा ही प्यार और सम्मान दिया। समय के साथ–साथ हमारा बिजनेस भी बढ़ने लगा व बैंक के साथ विश्वास भी। पिताजी के उस समय के बैंक के संबंध, मेरे व्यापार संभालने के साथ–साथ और भी मधुर हो गए। मैंने अपने जीवन की पहली गाड़ी पंजाब एण्ड सिंध बैंक से कार लोन लेकर ली थी। आज हमारी 2 व्यावसायिक फर्म है – 1.ग्रोवर सीमेंट उद्योग, 2. ग्रोवर बिल्डिंग मेटेरियल दोनो ही फर्म आज भी पंजाब एण्ड सिंध बैंक की शाखा आर.सी. बी से जुड़ी है। मैंने हाउसिंग लोन भी इसी शाखा से लिया तथा सीमेंट उद्योग के लिए लिमिट भी इसी शाखा से ली। अन्य बैंकों की अपेक्षा पंजाब एण्ड सिंध बैंक के साथ आज भी उतना ही गहरा रिश्ता है जितना पिताजी के समय में था। वर्तमान समय में श्रीमती पूर्वी पोद्दार शाखा में प्रबंधक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तिव की धनी है अन्य स्टाफ सदस्यों में संदीप शर्मा तथा भूपेन्द्र भी अपना कार्य पूर्ण लगन और परिश्रम से कर रहे हैं। मुख्य रूप से मैं यह कहना चाहूंगा कि इस शाखा में चाहें जन–धन खाते खुलने का समय था, चाहे नोटबंदी का और अब कोविड–19 का, समस्त स्टाफ अपना कार्य पूरी निष्ठा, ईमानदारी और मेहनत से कर रहा है।

बैंक लगातार सफलता प्राप्त करे यही मेरी दिल से कामना है। मैं बैंक का तहेदिल से आभारी हूँ।

धन्यवाद!

नागमणि

सरकारी बैंकों का निजीकरण

बैंक किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। हमारे देश में आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था की शुरुआत ब्रिटिश राज से हुई थी। 18वीं शताब्दी में भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए तीन बैंकों की स्थापना बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास के नाम से की गयी थी। लेकिन बाद में इन तीन बैंकों को 1921 में विलय करके इम्पीरियल बैंक का नाम दिया गया। फिर स्वतंत्रता के बाद, वर्ष 1955 में इम्पीरियल बैंक का नाम बदल कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। इलाहाबाद बैंक भारत का पहला निजी बैंक था। शुरुआत में बैंकों की शाखायें और उनका कारोबार वाणिज्यिक केन्द्रों तक ही सीमित होती थी तथा बैंक अपनी सेवायें केवल वाणिज्यिक प्रतिष्ठान को ही उपलब्ध करते थे।

राष्ट्रीयकरण से पहले सभी वाणिज्यिक बैंकों की अलग और स्वतंत्र नीतियां होती थी और उनका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना होता था क्योंकि इन बैंकों के मालिक गिने चुने पूंजीपति होते थे जो अपने हितों के साथ अपने निजी हित धारकों को ही बैंकिंग सेवाओं और सुविधाओं का लाभ पहुँचाते थे। अतः समाज के गरीब, कमजोर वर्ग तथा सामान्य गरीब लोगों को बैंक किस चिड़िया का नाम होता है, अर्थात बैंक के बारे में कुछ भी पता नही था। जिस कारण वे लोग दिन प्रतिदिन सेठ साहूकारों और महाजन के सूद के नीचे दब गए थे, बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पहले किसानों की हालात बहुत ज्यादा ही खराब थी और उनके बारे में कड़वा सच बोला जाता था कि हमारे देश का किसान कर्ज में ही जन्म लेता है, कर्ज में ही पलता है और पीछे कर्ज छोड़ कर मर जाता है। ऐसी असमानता की स्थिति में पूंजीपति अधिक धनवान बनते चले गए और देश में भयंकर सामाजिक असंतुलन पैदा होने लगा। सामाजिक असंतुलन के साथ ही देश जबर्दस्त आर्थिक विषमताओं के जाल में उलझ गया। इस प्रकार सामाजिक तथा आर्थिक विकास की गति अवरुद्ध होने लगी जिसके फलस्वरूप क्रांतिकारी नई आर्थिक नीति की आवश्यकता महसूस की जाने लगी थी अतः देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके उन्हें देश के विकास प्रवाह में शामिल किया जाना एक राष्ट्रीय जरुरत बन गई थी। इसी उद्देश्य से देश के 14 प्रमुख अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया। इसी के साथ ही भारतीय बैंकिंग प्रणाली मात्र लेन–देन, जमा या ऋण के माध्यम से केवल लाभ अर्जित करने वाला उद्योग ही न रहकर भारतीय समाज के गरीब, दलित तबकों के सामाजिक एवं आर्थिक पुनरुत्थान और आर्थिक रूप में उन्हें ऊंचा उठाने का एक सशक्त माध्यम बन गया। इस राष्ट्रीयकरण का मूल उद्देश्य यही था कि बैंकिंग प्रणाली देश के आर्थिक विकास मूलक कार्यों में सक्रिय सहयोग प्रदान करके बैंकिंग सेवाओं एवं सुविधाओं का लाभ समाज के कमजोर वर्गों सहित अन्य सभी क्षेत्रों को पहुंचाने में अहम भूमिका अदा करें। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के ऐतिहासिक पर्व की शुरूआत करते समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिराजी ने कहा था कि ''बैंकिंग प्रणाली जैसी संस्था, जो हजारों –लाखों लोगों तक पहुंचती है और जिसे लाखों लोगों तक पहुंचना चाहिए, के पीछे आवश्यक रूप से कोई बड़ा सामाजिक उद्देश्य होना चाहिए जिससे वह प्रेरित हो और इन क्षेत्रों को चाहिए कि वह राष्ट्रीय प्राथमिकताओं तथा उद्देश्यों को पूरा करने में अपना योगदान दें।'' इस विश्वास को सार्थक करने की प्रक्रिया में छह और बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को कर दिया गया।

सरकार द्वारा बैंकिंग क्षेत्र में समय समय पर सुधार के लिए कई समितियां बनाई गई और उनके द्वारा की गई सिफारिश को सरकार अमल में भी लाती है। बैंकिंग सुधार समिति के रिपोर्ट पर ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था उसके बाद भारत में बैंकों का महत्व और बढ़ा तथा इन बैंकों की शाखाओं का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया। भारत जैसे विशाल देश में 136 करोड़ लोगों के विकास की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बनी सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन में सरकारी बैंक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। यदि सरकारी बैंक न हों तो विशालकाय केंद्रीय योजनाएं जैसे कि जन–धन योजना, मुद्रा योजना और समय समय पर सरकार द्वारा घोषित योजना आदि कभी ठीक ढंग से लागू नही हो सकता है।

हमारे देश में सरकारी बैंक के द्वारा किए गए ठोस प्रयास से ही व्यापक रूप से सामाजिक उत्थान का स्वप्न देखने में सरकार को एक ठोस धरातल मिलता है।

आर्थिक उदारीकरण के बाद बैंकों में और सुधार की आवश्यकता महसूस की गई। इसके लिए भारत सरकार ने अगस्त 1991 में श्री एम. नरसिंहम की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की तथा बाद में सन् 1998 में भी बैंकिग प्रणाली सुधार कमेटी इन्हीं की अध्यक्षता में नियुक्त की गई। वित्तीय प्रणाली की समीक्षा के लिए एम. नरसिंहम ने 1991 में निम्नलिखित सिफारिशें की –

1. समिति ने तरलता अनुपात में कमी करने की सिफारिश की जिसमें कानूनी तरलता अनुपात (SLR) को अगले पांच वर्षों में 38.5 प्रतिशत से कम करके 28 प्रतिशत कर देने की सिफारिश की।
2. समिति ने निर्देशित ऋण कार्यक्रमों को समाप्त करने की सिफारिश की।
3. समिति के अनुसार ब्याज दरों का निर्धारण बाजार की शक्तियों के द्वारा होना चाहिए। ब्याज दरों के निर्धारण में रिजर्व बैंक का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।
4. समिति ने बैकों की लेखा प्रणाली में भी सुधार करने की बात की।
5. समिति ने बैकों के ऋणों की समय पर वसूली के लिए विशेष ट्रिब्यूनल की स्थापना पर जोर दिया।
6. समिति ने बैंकों के पुनर्निर्माण के ऊपर भी जोर दिया। इस समिति के अनुसार 3 या 4 अन्तर्राष्ट्रीय बैंक, 8 या 10 राष्ट्रीय बैंक तथा कुछ स्थानीय बैंक एवं कुछ ग्रामीण बैंक एक देश के अन्दर होने चाहिए।
7. समिति ने शाखा लाइसेंसिंग की समाप्ति की सिफारिश की।
8. समिति ने विदेशी बैंकिग को भी अपने देश में प्रोत्साहित करने की सिफारिश की।
9. समिति ने बैंकों पर दोहरे नियंत्रण को समाप्त करने की सिफारिश की।

पहले बैंकों पर वित्त मंत्रालय तथा रिजर्व बैंक का नियंत्रण होता था। नरसिंहम कमेटी ने सुझाया कि बैंकों पर केवल रिजर्व बैंक का नियंत्रण होना चाहिए।

1998 में गठित नरसिंहम समिति की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित है:

1. सुदृढ़ वाणिज्यिक बैंकों आपस में विलय अधिकतम आर्थिक और वाणिज्यिक माहौल पैदा करेगा और इससे उ ोगों का विकास होगा।
2. सुदृढ़ वाणिज्यिक बैकों का विलय कमजोर वाणिज्यिक बैकों के साथ नहीं किया जाना चाहिए।
3. देश के बड़े बैंकों को अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए।
4. जोखिम भरी आस्तियों से पूंजी के अनुपात को सन् 2000 तक 9 प्रतिशत तथा सन् 2002 तक 10 प्रतिशत के स्तर पर लाया जाना चाहिए।
5. सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा कवर किए गए असुविधाजनक हो चुके ऋणों को गैर निष्पादनीय अस्ति माना जाए।
6. रुपये 2,00,000 लाख से कम के ऋणों पर ब्याज नियंत्रण का अधिकार बैंकों को दिया जाए।

देश के बैंकिंग सेक्टर में आई गिरावट का कारण नया नहीं है। यह पिछली सरकारों के समय से चली आ रही नीतियों का नतीजा है। आर्थिक विशेषज्ञों को इस बात की पहले से ही आशंका थी कि व्यापक स्तर पर ऋणों के पुनर्गठन का परिणाम गैर निष्पादित सम्पत्ति के रूप में सामने आएगा। वित्त मंत्रालय एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस दिशा में समाधान ढूंढने में बहुत देर कर दी।

- सरकार ने इस दिशा में जो उपाय किए, उनमें सबसे पहला बैंक नियमन (सुधार) अधिनियम, 2017 है।
- गैर निष्पादित संपत्तियों के समाधान के लिए सरकार ने दिवालिया व शोधन, अक्षमता संहिता 2016 के अंतर्गत आरबीआई को और भी शक्ति दी है। 40 प्रतिशत गैर निष्पादित संपत्तियां अब इस संहिता के दायरे में हैं।
- बैंकों के पुनर्पूंजीकरण का प्रावधान किया गया है।
- आर बी आई ने गैर निष्पादित संपत्ति समाधान प्रक्रिया को अमेरिका एवं अन्य देशों की तर्ज पर पारदर्शी दिवालिया कानून की तरह संरेखित कर दिया है।
- आर बी आई ने अलग प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना की है।

सरकार के ये सभी प्रयास सराहनीय है। आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार बैंकों का निजीकरण किए बिना बैंकिंग का वर्तमान ढांचा लंबे समय तक काम नहीं कर सकेगा। इसके कई कारण हैं।

- अनेक शोधों से यह सिद्ध हो चुका है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में निजी बैंक अधिक उत्पादकता का परिचय देते हैं।
- निजीकरण से बैंकों के प्रशासन में बहुत सुविधा होती है। बैंकों के लिए बनाई गई अनेक समितियों ने इस बात की आवश्यकता पर बल दिया है कि बैंकों के बोर्ड को शक्तिशाली बनाने के लिए सुधारों की आवश्यकता है। वर्षों से इस सुधार की मांग के बावजूद अभी तक इस पर कोई काम नहीं किया गया है।
- सार्वजनिक बैंकों के निर्माण के पीछे तर्क दिया जाता रहा है कि ये सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इनमें से अधिकांश लक्ष्य ऐसे हैं, जिन्हें निजी बैंक, आर बी आई के नियमन एवं दिशानिर्देश में पूरा कर सकते हैं। दशकों से निजी बैंक देश के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अपने सामाजिक लक्ष्यों को संतोषजनक ढंग से पूरा करते आ रहे हैं।

आर्थिक विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सरकारी बैंक ही सर्वश्रेष्ठ हैं, राष्ट्रीयकरण से पहले भी देश में निजी क्षेत्र के बैंक थे जिनका उद्देश्य केवल लाभ कमाना था, और उदारीकरण के बाद 1991 में भारत में कुछ और प्राइवेट बैंक आए जिनका एकमात्र उद्देश्य था अधिक से अधिक लाभ कमाना। इन बैंकों में खातों रखने के लिए बड़े मिनिमम बैलेंस की आवश्यकता होती है जो आम आदमी के लिए संभव नहीं है। हमारा मानना है कि भारत जैसा देश में जो आर्थिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता की दृष्टि से काफी पीछे है, और उसमें ये सोचना कि लाभ कमाना ही बैंकों का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है?

अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस वक्त बैंकों के निजीकरण की आवाज उठाना बहुत आसान है, भीमकाय गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) और अविश्वसनीय घोटालों ने इस सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों के मॉडल पर ही सवाल उठा दिए हैं। यह मांग उठने लगी है कि सरकार को अपनी हिस्सेदारी बेचकर बाहर निकल जाना चाहिए। सरकारी बैंकों के निजीकरण की मांग उठाने से पहले हमें 2008 में जो वैश्विक आर्थिक समस्या पैदा हुई थी उसके कारणों को दखने से पता चलता है कि उस समय के वैश्विक आर्थिक समस्या का कारण कॉर्पोरेट लोन नहीं बल्कि रिटेल लोन, होम लोन और उनके ऊपर के डेरिवेटिव थे, और इसके पीछे जो बैंक थे वो सरकारी बैंक नहीं थे बल्कि सभी निजी बैंक ही थे। उस समय प्राइम लोन बाजार के डूबने से उठे वित्तीय भूचाल में अनेक बड़े बड़े निजी बैंक डूब गये। क्या इन पश्चिमी पूंजीवादी देशों में इन बैंकों को डूबने देना चाहिये था? वहां की सरकारों ने करदाता के पैसे से बेलआउट पैकेज बनाकर इन बैंकों को नया जीवन प्रदान किया। जिसकी बहुत आलोचना हुई कि मुनाफे का तो निजीकरण इन निजी बैंकों के द्वारा तो होता ही है और अब घाटे का सार्वजनिक करण भी कर दिया गया है। इस विरोधाभास का उत्तर हमें बैंकिंग उद्योग की विशिष्ट प्रवृत्ति को समझने से ही मिलेगा. अन्य सभी व्यापारों से अलग, बैंकिंग उद्योग अर्थव्यवस्था की वह धुरी होती है, जिसमें न केवल सभी बैंक एक–दूसरे से जुड़े होते हैं, बल्कि प्रत्येक बैंक भी अर्थव्यवस्था के सभी हिस्सों से जुड़ा हुआ होता है, अगर एक बैंक डूबता है तो वह अपने साथ अनेकों छोटे भूचाल ले आयेगा और उस स्थिति से पैदा होनेवाला सामाजिक विनाश अकल्पनीय हो सकता है, इसीलिए सरकारें वह जोखिम नहीं लेना चाहतीं। यदि बैंकों को निजीकरण कर दिया गया और कोई भीमकाय निजी बैंक यदि किसी दिन डूबा, तो क्या हमारी सरकार वैसा होने देगी? इससे तो बेहतर है कि यदि घाटे का सार्वजनिककरण होना ही है, तो मुनाफे का भी सार्वजनिककरण होने देना चाहिए। अतः यही सही होगा कि बैंकों को सरकारी ही रहने दिया जाये।

लेकिन, उपरोक्त दिए गए तर्क से यह सच्चाई छुप नहीं जाती है कि भारतीय बैंकिंग व्यवस्था का वर्तमान पतन एक बड़े खतरे की सूचक है और इसका मुख्य कारण राजनीतिक दखलअंदाजी, अकुशल और गैर–पेशेवराना प्रबंधन है। पिछली सरकारों पर हम यह आरोप लगा सकते हैं कि क्यों बैंकों ने बड़ी आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए इतना ऋण दिया, जबकि उस प्रकार के ऋणों में जोखिम आकलन की क्षमता काफी कम थी,

हम वर्तमान सरकार से भी यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि जो एनपीए 2014 में मात्र ढाई लाख करोड़ रुपये था, वह आज चार गुना बढ़कर एक पहाड़ के रूप में सामने कैसे खडा हो गया? सभी आंतरिक और बाहरी ऑडिट नियंत्रण विफल कैसे होते चले गए? बैंक बोर्ड ब्यूरो क्या करता रहा? वित्तीय सेवा प्रभाग ने सुध क्यों नहीं ली? और खुल्लम–खुल्ला एलओयू की धोखाधड़ी चलती कैसे रही? यदि हम सरकार को भविष्य में ऐसी समस्याओं के संस्थागत समाधान ढूंढ पाने में अक्षम मान लें तो बैंक का निजीकरण ही समाधान दिखता है, लेकिन इससे सामाजिक उत्थान वाली योजनाओं के निष्पादन और आम जमाकर्ताओं के विश्वास पर ग्रहण लग जायेगा। घाटे वाली शाखाओं को निजी बैंक चलने नहीं देगें और लगातार सरकारी दखल की आवश्यकता होगी और सरकार इस समस्या से

वाकिफ है, इसी कारण से पंजाब नेशनल बैंक मे हुए महाघोटाले के बाद सरकारी बैंक मे भी अधिक पेशेवर प्रबंधन लाने की कवायदें और तेज हो गयी हैं। अभी भी बैंक को हुए नुकसान का पूरी तरह से आकलन नहीं हो पाया है, और जिस सरलता से यह घोटाला चल रहा था, उसने विनियामक शिथिलता को सार्वजनिक रूप से उजागर कर दिया है। लेकिन सरकार अभी भी कुछ सख्त कदम उठाकर निजीकरण से बच सकती है।

पहला– बैंक होल्डिंग कंपनी बनायी जाये, जिसमें सभी सरकारी बैंकों को शामिल किया जाना चाहिए।

दूसरा– निष्पक्ष जांच कर घोटालेबाजों को जेल में डाला जाना चाहिए।

तीसरा– प्रस्तावित भगौड़ा आर्थिक अपराध विधेयक शीघ्र पारित किया जाना चाहिए।

चौथा– राजनीतिक नेता और पार्टियां द्वारा बैंकों के प्रबंधन में दखलअंदाजी बंद करना चाहिए।

पांचवां– उच्च वेतनमान पर श्रेष्ठ प्रतिभा और पेशेवर के हाथों में बैंकों का प्रबंधन सौंपा जाना चाहिए।

यदि सरकार दृढ़ निश्चय के साथ इन समाधानों पर काम कर सके, तो सरकारी बैंक न केवल लाभप्रद बने रह सकते हैं, बल्कि भारत की वास्तविक आकांक्षाओं को भी अच्छी तरह पूरा कर कर सकते हैं, नहीं तो निजीकरण ही एकमात्र रास्ता बचेगा।

आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार बैंकों के कॉर्पोरेट लोन में 15–20 फीसदी का एनपीए हो गया है जिससे बैंकों की लाभप्रदता कम हो गई है। इस कारण बैंकों की पूंजी कम हो जाएगी और इस कारण बैंकों के अंतरराष्ट्रीय मानक बेसेल पर वो खरा नहीं उतर पाएंगी। जिसका सीधा असर बैंकों के लोन देने की क्षमता पर पड़ेगा और इस पर बाद में रोक भी लग सकती है। सरकारी बैंकों के साथ समस्याएं तो है लेकिन इसका निदान निजीकरण बिल्कुल नहीं है।ऐसा नहीं है कि प्राइवेट बैंकों में एनपीए नहीं है लेकिन सरकारी बैंकों में एनपीए का कारण उनकी ओनरशिप नहीं बल्कि उनका बिजनेस मॉडल है। भारत में 4 –5 बड़े बैंकों को छोड़ कर अधिकतर बैंक रिटेल लोन ही देते हैं अगर सरकारी बैंक भी रिटेल लोन पर ही ध्यान देते तो उनका भी एनपीए कम होता।

हमारे देश की स्थिति के हिसाब से हमें अभी और आधारभूत संरचना को विकसित करने कि जरूरत है, जिसके लिए कॉर्पोरेट लोन की आवश्यकता जरूरत पड़ेगी। विकसित देश जैसे अमरीका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देशों को इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पर लोग अब जीवनयापन के उंचे स्तर तक पहुंच गए हैं, साथ ही उन देशों में कॉर्पोरेट बॉन्ड का एक बड़ा और विकसित मार्केट है जो वहां की कंपनियों, फैक्ट्रियों और म्युनिसिपालिटी की जरूरतों को पूरा कर देता है। भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट अभी भी उस तरह से विकसित नहीं हो पाया है। विकसित देशों में लंबी अवधि के लिए लोन देने वाली संस्थाएं हैं जो हमारे देश में नहीं है। शुरूआत हमारे देश में भी आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, आईडीएफसी और आईएफसीआई जैसी संस्थाएं लंबी अवधि के लिए लोन देने वाली संस्थाएं थी जिसमे से कुछ अब बैंकों में बदल गए हैं। हमारे देश में बहुत कम कंपनियों को निजी बैंक लोन देते हैं क्योंकि निजी बैंक सुरक्षित लोन यानी रिटेल लोन ज्यादा करते हैं जिससे निजी बैंक का एनपीए कम होता है इसलिए हमें सरकारी क्षेत्र के बैंकों के एनपीए को इस तरह से देखना चाहिए कि वो राष्ट्रीय जरूरतों का पूरा कर रहे हैं जिसकी आगे भी जरूरत पड़ेगी। अब इससे जाहिर है कि कॉर्पोरेट लोन अगर सरकारी बैंक देंगे तो ज्यादा एनपीए भी तो सरकारी बैंक का ही होगा। जो लंबी अवधि के लोन होते हैं वो आने वाले 10–15 साल के अर्थव्यवस्था के विकास के आकलन के आधार पर दिए जाते हैं। कभी–कभी बाजार में मंदी आ जाती है जैसा कि हाल में स्टील के क्षेत्र में हुआ, स्टील के दाम गिरे, लौह अयस्क के दाम बढ़ गए, लौह अयस्क और कोयले के खनन पर रोक लग गईं जिस कारण से कंपनी को नुकसान हुआ और उनके द्वारा लिया गया लोन एनपीए मे बदल गया तो इसमें बैंको का तो कोई दोष नहीं था और ऐसा भी नहीं था कि अर्थव्यवस्था की विकास का आकलन गलत किया गया हो। इंफ्रास्ट्रकचर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो अगर बैंक सभी प्रकार के स्वीकृतियां लेने के बाद ही लोन देगा तो प्रोजेक्ट के शुरु होने में काफी वक्त लग सकता है जैसे बिजली पैदा करने वाली कंपनी लोन दिया गया और कोयले के खनन पर समस्या आ गईं, सड़कों के निर्माण के लिए ऋण दिए गए तो कहीं पर जमीन का एक टुकड़ा समस्या बन गया और कहीं पर एक टुकड़े में पर्यावरण क्लियरेंस को ले कर दिक्कत हो गयी, ऐसे कई कारणों से भी परियोजनाएं अटक जाती हैं और बैंकों का पैसे डूब जाता है। चार पांच साल भी अगर ऋण वापस नहीं मिला तो ब्याज मिला कर ऋण की रकम काफी बड़ी हो जाती है। जब बैंकों ने इसके लिए ऋण दिया था उस वक्त इन सब समस्याओं का आकलन नहीं किया था। ऐसी स्थिति में लाभ कमा कर बैंक का ऋण चुकाने की ऋण लेने वाले की क्षमता प्रभावित होती है और चूंकि प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ तो वो अब कभी ऋण नहीं चुका पाया इस कारण भी बैंकों का एनपीए अचानक ही बढ़ गया। अचानक एनपीए बढ़ने में न ही बैंकों के स्वामित्व का दोष था ना ही इस बात का कि उन्होंने अप्रेजल ख़राब किया। पीएनबी का जो घोटाला हुआ उसका मुख्य कारण कुछ

कर्मचारी का लालच आना और कुछ सिस्टम में कमी थी लेकिन ऐसी घटना निजी बैंकों में भी खूब हुई हैं।

कभी–कभी बड़े कर्जे की भरपाई न होने के कारण बैंक फेल हो जाते हैं लेकिन ऐसे में सरकार उस बैंक को बचाने के लिए सामने आती है। सरकारी बैंकों के मामले में सरकार अगर बैंक को पैसे देती है तो इसकी काफी आलोचना की जाती है, लेकिन बैंक चाहे निजी हों या सरकारी उसमें छोटे–बड़े हर तरह के वर्ग के लोगों के जीवन भर की जमापूंजी होती है और बैंक का फेल हो जाना सामाजिक तौर पर ग्रहण करने योग्य नहीं है। बैंक चाहे सरकारी हो या निजी उसको मदद करने के लिए सरकार को आगे आना ही पड़ता है अगर सभी प्राइवेट बैंक भी फेल होते हैं तो भी सरकार को मदद के लिए आगे ही पड़ता है, जैसा अभी हाल मे ही येस बैंक के साथ हुआ। इसे कहते हैं ''लाभों का निजीकरण और हानि का सरकारीकरण''।

सरकारी बैंकों को सुधारने की जरूरत है। सरकारी बैंकों में कई तरह की समस्याएं हैं, सरकारी बैंकों का निजीकरण कर देना, कुछ कंपनियों या कुछ बाहरी कारणों से हुए नुकसान से थक कर समस्या को और भी बड़ा कर देना है। ऐसा करने पर इसका प्रभाव आम लोगों पर भी पड़ेगा।

मेरे अनुसार तो निजीकरण सरकारी बैंकों के सामने आने वाली समस्याओं को ख़त्म करने का कारगर तरीका बिल्कुल नहीं हो सकता है।

प्रधान कार्यालय, लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग

जरा सोचिए...

डॉ. नीरू पाठक

हर साल की तरह इस बार भी शादियों का सीजन आने वाला है बड़े–बड़े फार्म हाउस, बैंकट हॉल, पार्कों में शामियाने, और दिल्ली जैसे शहर में हजारों की संख्या में शादियाँ जहाँ तरह तरह के लजीज खाने बनेंगे और कभी ध्यान दिया है खाने वालों की प्लेटों पर। जैसे पता नहीं कब से खाना नहीं खाया हो, कुछ भी छूट न जाए, चाहें खाना हो या न हो, प्लेट पूरी भरी होनी चाहिए, और फिर आधे से भी ज्यादा खाना प्लेट में ही छोड़ दिया जाएगा और पहुंच जाएंगे कुछ मीठा खाने और वहाँ भी वही सब दोहराया जाएगा। कहने का तात्पर्य यही है कि यहाँ शादी की बात करना तो केवल एक अवसर की बात है बल्कि सभी उत्सव, समारोह आदि में हम में से ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग हूँ मैं भी कुछ–कुछ ऐसी ही हूँ। कल ही टेलिविजन पर एक समाचार देखा और मन सिहर गया। भारत में लगभग 19 करोड़ लोग रोज रात को भूखे सोते हैं। समाचार ने सोचने पर विवश कर दिया और जैसे संपूर्ण शहर का चलचित्र आंखों के सामने आ गया। बड़े–बड़े हॉस्पीटलों के बाहर दूर दराज गाँव से आए उनके परिजन, रैन बसेरों में रात बिताने वाले लोग, मैट्रो के खंभो के सहारे सोने वाले, फुटपाथ पर रहने वाले, रेड–लाइट के आस–पास भीख माँग कर पेट भरने वाले, ऐसे असंख्य लोग महानगर में मिल जाएंगे जिन्हें शायद ही रात का खाना नसीब होता हो। लेकिन ऐसे में कई संस्थाएं और नौजवान आगे आए हैं जो शादी–ब्याह एवं अन्य उत्सवों में बचे हुए खाने को इन भूखे लोगों तक पहुंचाते हैं। पका हुआ खाना ज्यादा समय तक सही नहीं रहता बल्कि बर्बाद ही हो जाता है ऐसे में यह प्रयास सोने पर सुहागा के समान है। बचे हुए खाने का इससे अच्छा उपयोग हो ही नहीं सकता। और जरा यह सोचें कि जिस भूख से पीडित को भोजन मिलता होगा वो कितना तृप्त और प्रसन्न होता होगा। इसलिए मैंने तो दृढ़–निश्चय कर लिया कि कभी भी खाना बर्बाद नहीं करूंगी, जितना खाना जरूरी है बस उतना ही लेना चाहिए। मैंने तो सोच लिया जरा आप भी सोचिए, आपकी समझदारी से शायद किसी भूखे व्यक्ति के भोजन का प्रबंध हो जाए।

प्रधान कार्यालय, राजभाषा विभाग

डॉ. कौशलेन्द्र कुमार

कोरोना संकट में बदलता बचपन

आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। यह अभूतपूर्व संकट का दौर है जिसका सामना हमें बड़ी सूझबूझ और ठोस रणनीति के साथ करना है और हमसब यह कर भी रहे हैं। देश के तमाम तबकों पर कोरोना संकट से होने वाली परेशानियों पर ध्यान दिया जा रहा है, उनका आकलन किया जा रहा है परंतु राष्ट्र के भविष्य माने जाने वाले बच्चों पर ध्यान कम ही गया है। कोरोना संकट का दायरा एक आयामी न होकर बहु आयामी देखा जा रहा है। अर्थ व्यवस्था पर पड़ी चोट को तो सहज ही देखा जा सकता है परंतु मन–मस्तिष्क पर पड़ रहे अनवरत चोटों को आसानी से नहीं देखा जा सकता है। अपने व अपनों को हर पल मौत से बचाने की जुगत, एक भीषण मानसिक दबाव के रुप में परिणत होता जा रहा है। बाल मनोविज्ञान कहता है कि बच्चे घर में अपने बड़ों के हर व्यवहार को बड़ी बारीकी से देखते हैं तथा वैसा ही करने का व्यवहार भी करते हैं। आज जब हर घर में कोरोना संकट का भय व्याप्त है, बच्चे भला कैसे अछूते रह सकते हैं। चौबीस घंटे चलने वाले न्यूज चैनलों ने भी बिना यह सोचे–समझे कि इसे देखने वाले बच्चों पर इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ने वाला है, कोरोना के भय को घर–घर पहुंचा दिया है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बाल– मन अबोध और कोमल होता है। वह जब किस्से कहानियों की फंतासी को सच मान लेता है तो इस कोरोना के बेरहम तस्वीर के सच को किस रुप में लेता होगा, सोचने की जरुरत है। हमें यह समझने की जरुरत है कि किसी भी घटना या स्थिति पर व्यक्त की जाने वाली प्रतिक्रिया बड़ों और बच्चों में अलग–अलग होती है। इसलिए घर के बड़े लोगों को यह ख्याल रखना चाहिए कि कोरोना के जिन खबरों से वे दहल उठते हैं, उन खबरों से उनके बच्चों के मनो विज्ञान पर क्या असर पड़ता होगा।

कोरोना महासंकट ने मनुष्यों के चिंतन व व्यवहार दोनों को गहरे स्तर पर प्रभावित किया है। औद्योगिक क्रांति व विज्ञान से मिलने वाली सफलताओं ने हममें प्रकृति को जीतने का जुनून पैदा किया। हम आगे बढ़ते गए, हमारी सफलताएं हमें प्रकृति के और खिलाफ करती चली गई और फिर अचानक से कोरोना के ठोकर से हम सहम गए। हमारी प्रज्ञा व मेहनत की बुलंदियों को तस्कीद करती बड़ी–बड़ी इमारतें अचानक से खाली हो गई। कल–कारखानों में ताले जड़ गए। दुकान–बाजार विरान हो गए। भारत के तरक्की की तस्वीर दिखलाने वाले शहर ठप्प हो गए, उनकी तीव्र गति अचानक से रुक गई। जिनके पास महिनों तक गुजारा करने की पूंजी थी, वो सब्र के साथ इस लॉकडाउन की अवधि को बीतने की प्रतीक्षा करने लगे। परंतु एक बड़ी आबादी ऐसी भी थी जो हर दिन कमाती थी और उसी से हर दिन का गुजारा करती थी। ये दैनिक मजदूरी करने वाले, श्रमिक थे। संकट इनके समक्ष था। आरंभ के कुछ दिन तो राज्य सरकारें या अन्य संगठनों के प्रयास से जैसे–तैसे

इनका गुजारा हुआ परंतु जैसे–जैसे लॉकडाउन की अवधि बढ़ती गई, इनके सब्र का बांध टूटता गया और फिर पूरे हिंदुस्तान ने वो तस्वीर देखी जो अकल्पनीय थी। लाखों–लाख मजदूर अपने परिवार, बच्चों के साथ के साथ पैदल ही सैकड़ो किलोमीटर की दूरी तय करने को निकल पड़े। सैकड़ों किलोमीटर की दूरी को अपने नन्हें पैरों से इन बच्चों ने नापा है। तस्वीरें जो हमने देखी हैं वे निश्चित ही अच्छी नहीं हैं। सैकड़ों किलोमीटर की दूरी में बच्चे भूख–प्यास–बीमारी–थकान–कमजोरी या किसी भी अन्य प्रकार की जानलेवा परेशानियों का सहज ही शिकार हो सकते थे। सरकार व स्थानीय प्रशासन के साथ–साथ गैर सरकारी संगठनों को इन बच्चों पर विशेष ध्यान देना होगा। देश के भविष्य को हम इस कदर सड़क पर भूख–प्यास से बदहाल नहीं देख सकते हैं। जिन आंखों में कल तक रंगीन सपने होते थे उनमें मीलों की दूरी को कैसे तय कर पाने की, चिंता हमने देखी है, रास्ते में होने वाली रातों के अंधकार का खौफ हमने देखा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बेहतर समन्वय से इन परिवारों को स्पेशल ट्रेनों से घर पहुँचाने की फिर व्यवस्था की गई और आज लाखों मजदूर अपने घरों को जा चुके हैं। लेकिन यहाँ से एक नई चुनौती शुरु होती है। बेहतर रोजगार, बच्चों की बेहतर शिक्षा और बेहतर जीवन शैली की लालसा लिए जो मजदूर सालों पहले गांव छोड़ शहरों में रह रहा था, वह अब गांव में करेगा क्या? क्या उसके बच्चे अच्छी शिक्षा पा सकेंगे? शहरों के अच्छे स्कूलों में पढ़ने और स्तरीय शिक्षा पाने वाले ये बच्चे गांव के माहौल में किस कदर स्वयं को ढ़ाल पाएंगे,यह भी देखने वाली बात होगी। जगह बदलने से मानसिक तौर पर हर व्यक्ति थोड़ा परेशान तो अवश्य होता है और बच्चों के साथ यह परेशानी थोड़ी जटिल होती है। बच्चे जहाँ रह रहे होते हैं वो वहीं अपनी एक दुनिया बुनते हैं। उस दुनिया में वो रंग बिरंगे रंगों से अपने सपने बुनते हैं। जहां उनके यार–दोस्त नके लिए काफी अहम होते हैं। कोरोना के कारण बच्चों को अपना शहर छोड़ना पड़ रहा है। बच्चों के कोमल सपने यथार्थ के धरातल पर गिरकर टूट जाते हैं जिनकी सिसकी बड़े नहीं सुन पाते,परंतु बच्चों को वो काफी पीड़ा पहुंचाते हैं। हमें इन पहलुओं पर बड़ी बारीकी से मनन करना होगा।

कोरोना के संकट को कम करने के लिए देश में लॉक डाउन चल रहा है। इस लॉक डाउन में पार्क– खेल परिसर आदि जैसी जगह बंद है। बच्चे यहां खेलने नहीं जा पा रहे हैं। हर शाम घुल–मिल कर खेलने वाले एक गली के बच्चे भी नहीं खेल पा रहे हैं। यह सच है कि एक साथ खेलने से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है परंतु इसके साथ यह भी सच है कि बिना खेले बच्चों को अनेक प्रकार की मानसिक परेशानियां हो सकती हैं और हो भी रही हैं। एक तो कोरोना महामारी का भय और ऊपर से खेलने पर पाबंदी, बचपन को चिंताजनक स्तर पर हानि पहुंचा रहा है। खेलने से बच्चों का न सिर्फ शारीरिक विकास होता है बल्कि इनके दैनन्दिन जीवन में उल्लास भी बना रहता है। बिना उल्लास के बचपन को दिखना बड़ा दुखदाई होता है और हमें यह देखना पड़ रहा है। यहां पर घर के बड़े लोगों को बड़ी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्हें ही अपने बच्चों का दोस्त बनना होगा, उनके साथ पहले से कहीं ज्यादा समय व्यतीत करना होगा, उनके साथ खेलना होगा, उनके किस्से–कहानियों को उनकी ही तरह सच मानना होगा। उनके भीतर घर कर रहे कोरोना के भय को कम करना होगा। उनकी हंसी, उनके उल्लास को फिर से जगाना होगा।

पिछले दो महीने से स्कूल बंद है। बच्चों के सर्वांगीण विकास की धुरी स्कूल ही होते हैं। शिक्षा के साथ–साथ अन्य गतिविधियों के द्वारा स्कूल बच्चे के जीवन में एक अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चों के दैनन्दिन के समस्त क्रियाकलाप स्कूल के आस पास ही सिमटा होता है। ऐसी परिस्थितियों में अगर स्कूल बंद हो जाए तो बच्चों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ खाली–खाली सा होने का बोध होने लगता है। दोस्तों से नहीं मिल पाने का, उनके साथ नहीं खेल पाने का दुख बच्चे के मिजाज पर असर डालता है। वैसे इन दिनों ऑनलाइन कक्षाएं स्कूल प्रबंधन की तरफ से ली जा रही हैं जो तकनीक के बढते दायरे को रेखांकित करता है। बच्चे बड़े उत्साह से इस में हिस्सेदारी कर रहे हैं। निश्चित रुप से यह स्वागतयोग्य पहल है, परंतु प्रत्यक्ष कक्षाओं का विकल्प ऑनलाइन कक्षाएं कदापि नहीं हो सकती है। इसलिए लॉकडाउन में हमें बच्चों के बदलते व्यवहार, मिजाज व गतिविधियों को बड़े

रोजाना खुद को सकारात्मक बातें बताना न भूलें

ध्यान से देखना–समझना होगा। शैक्षणिक गतिविधियां रूक जाने से बच्चों के दैनन्दिन जीवन शैली प्रभावित हो रही थी। देर से सोना, देर तक सोना, कुछ भी समय से नहीं करना आदि जैसी प्रवृतियां बढ़ती जा रही थी। जाहिर सी बात है घर के अभिभावक भी बच्चों के इन व्यवहारों से खुश नहीं थे। कोरोना के खौफ के साथ–साथ बच्चे की बदलती प्रवृति भी उन्हें चिंतित कर रही थी। स्कूलों ने जब घर में बैठे बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से जोड़ा तब सबसे ज्यादा संतोष घर के इन्हीं अभिभावकों को हुआ। स्कूल प्रबंधन ने एक रुटीन के तहत बच्चों को घर में ही पढ़ाने की शरुआत की। स्कूल के ही यूनिफार्म में बच्चे 5–6 घंटे स्मार्ट फोन या लैपटॉप के सामने बैठ पढाई करने लगे। घंटे भर की पढाई के बाद 15–20 मिनट का अंतराल भी दिया जाने लगा। आरंभ में यह एक नवीन प्रयोग के तौर पर किया जा रहा था परंतु बच्चे व उनके परिवार के साथ साथ स्कूल के द्वारा भी इसे हाथों हाथ लिया गया और इसे सफल प्रयोग माना गया। पाठ्यक्रम के अनुसार सीखने– सिखलाने की कवायद फिर से होने लगी। शिक्षक पाठ्यक्रम के अनुसार कभी विडीयो बनाकर तो कभी जूम एप पर विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने लगे। हमें यह मानने में किसी भी प्रकार से गुरेज नहीं है कि हालात सामान्य होने तक ऑनलाइन शिक्षण पद्धति एक मजबूत विकल्प के तौर पर सामने आई है। तकनीकी रूप से कुछ व्यवधान के बावजूद बच्चों के शिक्षण को सतत क्रियाशील रखने के लिए ऑनलाइन शिक्षण पद्धति ने कोरोना संकट के निराशा भरे माहौल में एक आशा की किरण है,एक राहत भरी खबर है।

कोरोना संकट में जब पूरा भारत घर में ही रहने को मजबूर था, भारत सरकार ने दूरदर्शन के माध्यम से हमारे पौराणिक ग्रंथों पर आधारित धारावाहिकों का पुनर्प्रसारण कराया। रामायण और

महाभारत जैसे धारावाहिकों की रिकोर्ड टीआरपी से पता चलता है कि बच्चों को इसका बहुत फायदा मिला है। बच्चे हमारे सांस्कृतिक इतिहास को जान पाए। राम–कृष्ण जैसे महानायकों के जीवन चरित से न्याय–अन्याय, धर्म–अधर्म, स्वार्थ–परमार्थ के भेद को समझ पाए। हर संकट कुछ नया करने का अवसर भी देती है और यह यहां दिख भी रहा है। कोरोना के संकट ने हमारे रोजमर्रा की जिंदगी को गहरे स्तर तक प्रभावित किया है। तमाम दुकाने, रेस्त्रां, आदि बंद हैं। जहां तक बच्चों की बात है तो जिन बच्चों को कल तक सिर्फ बाहर के खाने की चाहत और आदत थी वो अब घर पर बने खाने को खा रहे हैं। इस तरह से बच्चों के खान–पान की आदत को सुधारने का एक अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है। कल तक बच्चों को अपने माता–पिता से बहुत ज्यादा समय नहीं मिल पाता था, परंतु अभी माता–पिता बच्चों के साथ चौबीस घंटे रह रहे हैं। यह माता–पाता और बच्चे, देने के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस समय का भरपूर उपयोग करना चाहिए। लेकिन यहां यह भी कहना जरुरी है कि ऐसा देखा जा रहा है कि लॉक डाउन में घरेलू हिंसा की घटनाओं में वृदधि हुई है। घर में पति–पत्नी या परिवार के अन्य सदस्यों के बीच तनाव के मामले बढ़े हैं। बच्चों पर इनका बेहद गहरा प्रभाव पड़ता है। पहले से ही कोरोना के भय से ग्रस्त बाल मनोविज्ञान के लिए माता–पिता के झगड़े अत्यंत दुखदायी होते हैं। घर के अभिभावकों को इस पर गंभीरता से विचार करने की जरुरत है।

देश का बचपन, देश का भविष्य है। जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक हमें अपने बच्चों का बहुत ध्यान से देखभाल करना होगा। उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा। उनके कोमल मनोभाव में आने वाले परिवर्तनो को बारीकी से समझना होगा। एक समग्र रणनीति से कोरोना जैसी महामारी से अपने भविष्य को बचाना होगा। हम यह देख चुके हैं कि इस वैश्विक महामारी में हमने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो हमारे भविष्य की नींव को मजबूत करने में सहायक है। विषम परिस्थितियों में भी समय का बेहतर से बेहतर सदुपयोग करने की सीख हमने अपने बच्चों को दी है। भारतीय इतिहास व संस्कृति की सकारात्मक बातों से बच्चों को लाभान्वित करने का प्रयास किया गया। समग्रता में यह कहा जा सकता है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझते हुए हमें एक बेहतर कल की निर्माण करने के प्रयास को प्रभावी बनाना होगा और इस प्रयास का एक बड़ा हिस्सा बच्चों के लिए होगा। बच्चों की चंचलता, उनके उल्लास, उनकी मासूमियत को हमें हर हाल में सहेज कर रखना होगा ताकि जब पार्क–बगीचे–स्कूल फिर से खुलेंगे तो ये बच्चों की धमाचौकड़ी और शोरगुल से फिर से गुलजार हो सकें। इसलिए जब तक कोरोना महामारी का प्रकोप है तब तक हमें भी मुस्तैदी के साथ इसका सामना करना है, अपने वर्तमान को बचाते हुए अपने भविष्य को संरक्षित भी करना है।

प्रधान कार्यालय, राजभाषा विभाग

वर्तमान सदी की चुनौतियाँ और हिंदी साहित्य

किंजल बंसल

जीवन की वास्तविकता और साहित्यिक प्रतिक्रिया में निकट संबंध है। आज का साहित्य भी हमारे समय के यथार्थ को उभारने का प्रयास कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में तकनीक तथा सूचना क्रांति के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए हैं उन्होंने मनुष्य की बाहरी दुनिया के साथ–साथ उसके चिंतन को भी झकझोर दिया है। फलतः साहित्य खेमे में आज यह चिंता का विषय है कि हिंदी साहित्य के स्तर में कुछ गिरावट सी आई है। ऐसा नहीं है कि यह विषय पहली बार उठाया गया हो, क्योंकि यह विषय साहित्य से संबंधित प्रश्नों, द्वंदों, संवेदनाओं एवं आशाओं से जुड़ा हुआ है। इसीलिए मनुष्य को बार–बार ऐसे विमर्शों और बहस में उतरना और भाग लेना पड़ता है।

साहित्य अनुरागियों को शिकायत है कि आज प्रायः सभी लेखक बेहतर लेखन की अपेक्षा आत्म–प्रचार में ज्यादा रम गए हैं। नित्य नवीन साहित्य पुस्तकों का विमोचन होता है, परंतु उनमें से कितने काल के कपाल पर अपना नाम अंकित कराने में सफल हो पाते हैं यह आने वाला समय ही बताएगा। क्या कभी प्रेमचंद, निराला ने अपनी पुस्तकों के विमोचन के लिए चिंतनीय प्रयास किया था? किसी भी रचनाकार की सफलता के लिए मौलिकता तथा विविधता अनिवार्य है।

आज बहुत से लेखक विशिष्टता के नाम पर अमेरिकी तथा यूरोपीय साहित्य की जूठन को मौलिक करार देते हुए देखे जाते हैं। कुछ साहित्यकार शीघ्र ही बड़े साहित्यकारों की जमात में शामिल होने के लिए जोड़–तोड़ बैठाते देखे जाते हैं। इसमें मीडिया की भूमिका भी कुछ आपत्तिजनक है। मीडिया जिसे चाहे उसे सिर आँखों पर बिठा देता है और चार दिन में ही वह लेखक कुछ विशेषज्ञों की चंद टिप्पणियों के बूते पर साहित्यक क्षेत्र में प्रशंसा, निंदा या विवाद के जरिए कम से कम चर्चा का विषय तो हो ही जाता है।

चिंता का एक और कारण है कि हिंदी के अधिकांश पत्र एवं पत्रिकाएं

साहित्यिक राजनीति के दुष्चक्र में फंस गए हैं। उनमें प्रकाशित सामग्री उनके विचार तथा उनके संपादकीय इसी राजनीतिक राग–द्वेष का प्रतिफलन करते हैं। साहित्य जो समरसता का पर्याय है, वह राजनीतिक दांव–पेच की कार्यशाला बन गया है। इन साहित्यिक आंदोलनों तथा खेमेबंदी से साहित्य के निष्पक्ष मूल्यांकन में व्यवधान उपस्थित होता है। बहुत से संपादक भी राजनीति के चलते यह कहकर रचनाएं वापस कर देते हैं कि पत्रिका के अनुरूप रचनाएं भेजें। कुछ पत्र–पत्रिकाओं ने तो विषय सामग्री संबंधी बाकायदा घोषणा–पत्र जारी कर दिए हैं। रचनाएं यदि पत्र–पत्रिकाओं के घोषणा–पत्र के अनुरूप लिखी जाएंगी तो साहित्य का उद्देश्य ही तिरोहित हो जाएगा।

पहले पत्रों के संपादकीय पृष्ठ किसी भी लेखक को स्थापित करने का माध्यम हुआ करते थे। आज हिंदी के साहित्यिक पत्रों के संपादकीय पृष्ठों पर छपने वाले लेखों और लेखकों पर दृष्टि डालें तो एक परिवर्तन स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है की इन साहित्यक क्षेत्रों में ब्रांड बन चुके लेखकों की भीड़ बढ़ती जा रही है। इन पृष्ठों पर उन्हीं दो–चार ब्रांडों के नाम देखे जा सकते हैं, जबकि हिंदी में अच्छा लिखने वालों की कमी नहीं है।

हिंदी साहित्य के स्तर विमर्श से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण पहलू है और वह है– जो ब्रांड नहीं बन पाए हैं, उन साहित्यकारों को

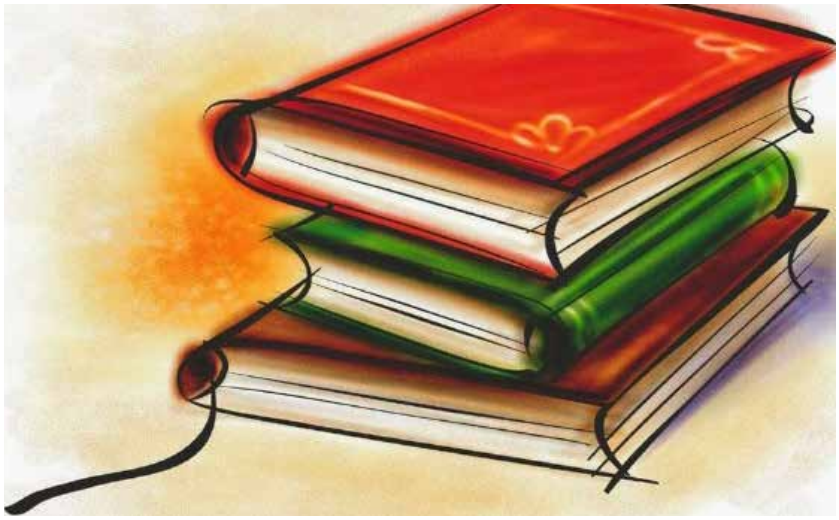

प्रकाशक नहीं मिलते। हिंदी साहित्य के विषय में प्रायः यह दुष्प्रचार किया जाता है कि इनका पाठक वर्ग बहुत सीमित है।

आज बहुत से नौकरशाह भी साहित्य सृजन के माध्यम से लोकप्रियता पाने का प्रयास करते दिखते हैं जिनमें से एक दो अपवादों को छोड़कर शेष का लक्ष्य स्वयं को बुद्धिजीवी स्तर की कतार में शामिल करना होता है और जाहिर–सी बात है ऐसे लोगों के पास वित्तीय संसाधनों की भी कमी नहीं होती। उनकी पुस्तकें पूरी साज–सज्जा के साथ प्रकाशित होती हैं जबकि सामान्य रचनाकार के संदर्भ में साहित्यक प्रकाशक सदैव व्यवसायिक हानि का जिक्र करते देखे जाते हैं। इन प्रकाशकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रकाशन व्यवसाय अवश्य है, मगर साहित्य से संबंधित व्यवसाय और साहित्य का व्यापार एक सीमा तक ही किया जा सकता है।

इन कड़ी सच्चाइयों से जूझने के बाद भी हिंदी साहित्य के स्तर को लेकर निराशा और अवसाद में डूबने का कोई विशेष कारण दृष्टिगोचर नहीं होता है। बीसवीं सदी के आरम्भ में भला किसने यह कल्पना की थी कि साहित्य में प्रेमचंद, प्रसाद निराला जैसी प्रतिभाओं का विस्फोटन होगा? प्रख्यात उर्दू लेखक जोगिन्दर पाल कहते हैं कि कोई भी रचना क्लासिक बनती ही तब है जब बरसों तक लोग उस रचना को पढ़ते रहें और अपने अर्थ देते रहें।

साहित्य परिवर्तन की प्रक्रिया में भी अपने पाँव जमाना चाहता है। पिछले दो–चार वर्षों में मनोहर श्याम जोशी, केदारनाथ अग्रवाल, निर्मल वर्मा तथा कमलेश्वर को हम खो चुके हैं, पर आज भी श्रीलाल शुक्ल, कृष्ण बलदेव वैद, नासिरा शर्मा, राजेंद्र यादव, मनु भंडारी, अमरकांत, रामदरश मिश्र, चित्रा मुद्गल, हिमांशु जोशी, रमेश चंद्र शाह, मैत्रेयी पुष्पा, निलाक्षी सिंह, शशिप्रभा शास्त्री, चंद्रकांता, मृदुला गर्ग, उदय प्रकाश, सूर्य वाला, मार्कण्डेय, दूधनाथ सिंह, कृष्णा सोबती जैसे कथाकार अनामिका, सविता सिंह, कुमारेंद्र, लीलाधर, जगूड़ी, राजेश जोशी, आलोक ध न्वा, अरुण कमल, सुदीप बनर्जी, विजेंद्र, अशोक बाजपेई, चंद्रकांत देवताले, वीरेंद्र डंगवाल, विष्णु खरे, मंगलेश डबराल, ज्ञानेंद्रपति, केदारनाथ सिंह, कुमार विकल जैसे कवि तथा नामवर सिंह, प्रयाग शुक्ल, प्रभाकर, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, मैनेजर पाण्डेय, निर्मला जैन, नंदकिशोर आचार्य, गोपाल राय, सुमन राजे, रमेशचंद्र शाह, कृष्ण कुमार, रमेश कुंतल मेघ, नंदकिशोर नवल, खगेन्द्र ठाकुर, मदन सोनी जैसे आलोचक तल्लीनता के साथ साहित्य के क्षेत्र में कार्यरत हैं।

सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि आज हिंदी साहित्य जगत में एक बड़ी संख्या में महिला साहित्यकार स्वयं को स्थापित कर चुकी हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आज भी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में प्रतिबद्ध रचनाकार, प्रकाशक, संपादक और पाठकों की कमी नहीं है। यह प्रतिबद्धता हिंदी साहित्य की अनंत आयु और उच्चतम स्तर का दृढ़ विश्वास जगाती है, क्योंकि व्यक्ति नहीं श्रेष्ठ साहित्य ही जीवित रहता है–

अच्छे से अच्छा कवि मर जाता है अच्छी कविता को जीवित छोड़कर,अच्छी कविता जीवित रखती है अपने कवि को, अच्छी कविता खराब से खराब कवि को भी नहीं मरने देती।

आंचलिक कार्यालय, गुरुग्राम

रचनाकारों से निवेदन

बैंक के प्रधान कार्यालय, राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित की जा रही हिंदी गृह–पत्रिका "राजभाषा अंकुर" में प्रकाशन हेतु रचना भेजते समय कृपया अपना फोटो तथा रचना के अंत में अपना नाम, शाखा/कार्यालय का पूरा पता, मोबाइल नंबर तथा अपने बैंक का खाता संख्या (14 अंकों का) भी अवश्य लिखें। बैंक से सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्य रचना भेजते समय उपरोक्त के अतिरिक्त अपने घर का पता तथा अपना पैन नं. (PAN No.) भी अवश्य भेजें।

मुख्य संपादक

सेवानिवृत्ति

बैंक के महाप्रबंधक श्री राजीव रावत ने वर्ष 1983 में पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा बड़ोदरा में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में अपनी बैंकिंग यात्रा प्रारंभ की थी। 37 वर्ष की बैंकिंग सेवा के दौरान वे विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर पदोन्नत होते हुए महाप्रबंधक के पद से दिनांक 30.06.2020 को सेवानिवृत्त हुए। अपने मृदु, शांत स्वभाव तथा समर्पित सेवा भाव के लिए श्री राजीव रावत जी बैंक में सदैव लोकप्रिय रहे।

बैंक की महाप्रबंध महोदया श्रीमती हरविन्द्र सचदेव दिनांक 30.06.2020 को बैंक सेवा से सेवानिवृत्त हुई हैं। श्रीमती सचदेव ने 29.04.1983 को अपनी बैंकिंग यात्रा आईबीडी, नई दिल्ली में अधिकारी के पद पर प्रारंभ की थी। इसके बाद वे विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए महाप्रबंधक के पद तक पदोन्नत हुई। पंजाब एण्ड सिंध बैंक में वे अब तक एकमात्र महिला महाप्रबंधक रही हैं।

जीवन के नए अध्याय की शुरूआत के लिए हमारे दोनों प्रेरणास्त्रोतों को बहुत-बहुत बधाई। साथ ही जून 2020 तिमाही में सेवानिवृत्त बैंक परिवार के अन्य साथियों को शुभकामनाएं। बैंक परिवार आप सभी के स्वस्थ, समृद्ध एवं उज्ज्वल सेवानिवृत्त जीवन की कामना करता है।

– शुभकामनाओं सहित

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

काव्य-मंजूषा

जिंदगी आज जिंदाबाद हो गई है।

– डॉ. कौशलेन्द्र कुमार

आज निकला जब सड़क पर
देखा सड़के आबाद हो गई हैं
मौत के साये से लड़ते–लड़ते
जिंदगी आज जिंदाबाद हो गई है।

जज्बा है हमारा, जिंदगी को बचाने का
हर टूटे आशियाने को फिर से बसाने का
उम्मीदें फिर से आबाद हो गई है
जिंदगी आज जिंदाबाद हो गई है।

देखा जो हमने, भूल नही सकते
काटे जो वे दिन, भूल नही सकते
उदास दिन, सहमी वे काली रातें
वो लंबा लॉकडाउन, भूल नही सकते
लेकिन हम फिर से चलेंगे साथी
सोच ऐसा, जिंदगी मुस्कुराई है।

निकल पड़े जब हम सब एकसाथ
खौफ ने फिर से मुंह की खाई है।
जिंदगी आज जिंदाबाद हो गई है।
जिंदगी आज जिंदाबाद हो गई है।
प्रधान कार्यालय, राजभाषा विभाग

प्रधान कार्यालय, राजभाषा विभाग

मेरे बाऊजी

– डॉ. नीरू पाठक

लंबे उँचे, सांवले सलोने मेरे बाऊजी,
मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी हमेशा
धीमे से मुस्कुराते बाऊजी,
सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कह हमें
सदा ढ़ाढ़स बंधाते बाऊजी
कठिन परिश्रम, बुद्धिमानी से
स्वावलंबी, स्वाभिमानी, कर्त्तव्य पथ पर
निरंतर आगे बढ़ते मेरे बाऊजी।

बचपन में कंधों पर झूलाते,
साइकिल की छोटी गद्दी पर बिठाकर
दूर तक सैर कराते बाऊजी
सोते से भी हमें उठाकर
रात को दूध पिलाते बाऊजी
सबके साथ मिल बाँटकर खाने का
हमें सदा पाठ पढ़ाते बाऊजी ।

शिक्षा है जरूरी सदा सिखाते
देर रात तक हमें पढ़ाते
कुछ कर लेते तो इनाम देते
नहीं कर पाते तो समझाते
कभी गुस्से तो कभी प्यार से
जीवन का हर पाठ पढ़ाते
पिता के साथ शिक्षक का भी
बखूबी पार्ट निभाते बाऊजी ।

उम्र उन्हें बाँध न पाती
बिमारी उन्हें रोक न पाती
अपने पराए के भेद से ऊपर
सबको अपनाते,
परमार्थ के पद पर चलते
कभी न थकते मेरे बाऊजी।
न होकर भी, अब भी रहते
मन के मेरे पास बाऊजी ।

प्रधान कार्यालय, राजभाषा विभाग

हमें इन

आज समस्त विश्व कोविड–19 महामारी से त्रस्त है और हमारा देश भारत भी इससे अछूता नहीं रह पाया है। जहाँ डॉक्टर, नर्स तथा पैरामेडिकल सेवाएं देकर ग्राहकों को लाभान्वित किया है बल्कि अन्य सेवाओं द्वारा भी अपनी जिम्मेदारी पूर्ण तन्मयता से निभा रहा है। इस संकट की घड़ी में प्रशिक्षणार्थियों की सहायता से मास्क बनाने का काम पूरा किया जिसे आरसेटी डायरेक्टर द्वारा स्थानीय चिकित्सालयों, सिविल अस्पतालों, रेड कार्यालय भोपाल ने भी गरीब लोगों में भोजन वितरित किया। किसी ने धन से तो किसी ने अन्न से और किसी ने मन से बैंक कार्मिकों ने

पर गर्व है

स्टाफ, सफाई कर्मचारी इस महामारी से लड़ने में अहम भूमिका निभा रहे हैं वहीं बैंकिंग स्टाफ ने भी न केवल कार्यालय/शाखा में अपनी आवश्यक हमारा बैंक एवं स्टाफ स्दस्य भी अपने स्तर पर इस मुहिम में जुटे हुए है। ग्रामीण स्व–रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी), लुधियाना ने अपने क्रॉस सीनियर सिटिजन होम, बिजली विभाग, मजदूरों एवं शाखाओं में आने वाले आम जन को भी मास्क का वितरण किया गया। आंचलिक इस आपदा के समय में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। प्रस्तुत हैं कुछ झलकियाँ –

प्रमोद कुमार यादव

पर्यावरण और कोविड–19

मौसम में नकारात्मक बदलाव दिन पर दिन होते जा रहे हैं। पूरे विश्व के समक्ष यह एक कठिन चुनौती है कि हम इसका निवारण कैसे करें। इस चुनौती के जिम्मेदार भी सब से अधिक हम मानव प्राणी ही हैं। हम अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए बिना सोचे समझे पेड़ों की कटाई लगातार करते जा रहे हैं। यह नहीं सोचते कि इसका दुष्प्रभाव क्या होगा। आज मौसम अपना नकारात्मक प्रभाव खूब दिखा रहा है। हम अपने द्वारा बनाई गई सुविधाओं में अपनी मर्जी से बदलाव कर सकते हैं लेकिन क्या हम नियति द्वारा निर्मित व्यवस्थाओं में भी अपने हिसाब से फेर–बदल कर सकते हैं। यह हमारे समक्ष एक अति विचारणीय प्रश्न है। इसका हल हमें निकालना होगा और नियति की यथार्थता को स्वीकार करना होगा। वास्तविकता यही है कि हम इसकी सच्चाई को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्वीकार कर इसका सम्मान करना सीखें ताकि प्रकृति हमारे साथ कुशल व्यवहार करे।

प्राकृतिक आपादाओं में बढ़ोतरी

अब प्राकृतिक आपदाओं में बढ़ोतरी लगातार होती जा रही है। इसके अंतर्गत अचानक आंधी आना, तूफान आना, सूखा पड़ना, बाढ़ आना और कभी बिन मौसम बरसात होना। बिन मौसम बरसात होना अर्थात अचानक किसी भी मौसम में बारिश होना, ओला वृष्टि होना। यह हाल के कुछ वर्षों में बहुत अधिक होने लगा है। पिछले 5/6 वर्षों से अकसर मार्च, अप्रैल, मई के महीने में अचानक आंधी, तूफान, ओला वृष्टि और बारिश होने लगती है। यह स्थिति निश्चित रूप से फसलों के लिए हानिकारक है। इस समय रबी की फसलें तथा आम के पेड़ फूल या दाने लिए रहते हैं। इस समय बारिश या ओला जैसी स्थिति में भारी नुकसान होता है। इस तरह से पर्यावरण संतुलन लगातार अनियमित होता जा रहा है यदि इसी रफतार से वनों की कटाई चलती रही तो दिन पर दिन इस धरती पर जीवन जीना दुभर हो जाएगा।

मृदा अपर्दन

अत्यधिक पेड़ों की कटाई के कारण मृदा अपर्दन दिन पर दिन तेजी से बढ़ता जा रहा है जिसके कारण मिट्टी का बहाव बहुत अधिक होता जा रहा है। यह एक गंभीर स्थिति है। इस पृथ्वी पर जितने भी मानव प्राणी निवास करते हैं उन सबका कर्तव्य है इस समस्या का निर्वहन करना। इसी के कारण मिट्टी संग्रहित नहीं हो पा रही है। मृदा संग्रहण न होने के कारण पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। यही वजह है कि बाढ़, भूस्खलन, धूल भरी आंधी जैसी समस्याओं से हमें जूझना पड़ रहा है। इससे प्रदूषण का स्तर ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में निरंतर बढ़ रहा है। जिसके कारण पर्यावरण का उपहास हो रहा है निश्चित रूप से यह स्थिति हर एक वर्ग के व्यक्तियों तथा पशु पक्षियों के लिए बहुत ही हानिकारक है।

इसका सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या में अपार बढ़ोतरी एक सर्वे के अनुसार पूरी दुनिया की आबादी एक अरब पहुंचने में एक लाख साल लग गए और अगले सिर्फ 100 सालों में 2 अरब और अगले 50 साल में मतलब 1970 में दुगुनी हो कर 4 अरब हो गई थी और अब हम लगभग 8 अरब हैं। उपरोक्त आंकड़े से हम आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेज गति से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। यही कारण है कि आज हमें हर तरफ भवन निर्माण कार्य प्रगति पर दिखाई पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो जहां आज से 20–25 वर्ष पूर्व बहुत बड़े–बड़े बगीचे और कृषि युक्त भूमि नजर आती थीं वहां अब बड़े–बड़े भवन व बाजार दिखाई देते हैं जिसके कारण पर्यावरण का विनाश होता जा रहा है। हम समस्त मानव प्राणियों के समक्ष एक कठिन चुनौती है पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना। इस समस्या से उभरने के लिए हम सबको पेड़ काटने से पहले उसके काटे जाने के कारण उससे होने वाले दुष्प्रभाव के विषय में गंभीरता से समझना होगा कि इसका दूरगामी प्रभाव महसूस कर लेना चाहिए। और उसके बदले में 5 से 10 पेड़ लगाने के विषय में सोचना होगा, सोचना ही नहीं अपितु तेज गति

से वृक्षारोपण की ओर अग्रसर होना होगा। यदि ऐसा नहीं किया तो दिन पर दिन स्थिति और गंभीर होती जाएगी। जलवायु संतुलित रहे इसके लिए हमें सचेत होना पड़ेगा।

वृक्षों के अत्यधिक कटाई के कारण पर्यावरण का दोहन बहुत तेजी से हो रहा है जिसके कारण प्रदूषण का स्तर भी निरंतर बढ़ रहा है जो हम सब के जीवन के लिए खतरनाक है। किसी भी तरह का प्रदूषण खतरनाक है वायु प्रदूषण सबसे अधिक हो रहा है। पर्यावरण के विनाश होने के कारण सबसे अधिक वायु पर विपरीत असर पड़ रहा है। यह परिस्थिति निश्चित रूप से पृथ्वी पर निवास करने वाले मानव प्राणी तथा जीव–जंतुओं के लिए निकट भविष्य में एक खतरे की घंटी है। निश्चित रूप से हम सबको इस समस्या से निपटने के लिए अति गंभीरता से कार्य करना होगा।

पर्यावरण पर कोविड़-19 का प्रभाव

एक ऐसी वैश्विक महामारी जो चीन के वोहान शहर से दिसंबर 2019 में निकलती और आज के समय में विश्व के छोटे बड़े लगभग 200 देशों को अपने चपेट में ले लिया है। भारत में भी इस कोरोना नामक बीमारी ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है। इससे लगभग 1 करोड़ 32 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं और 5 लाख 75 हजार से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और इसका कहर अभी बदस्तूर जारी है यह आंकड़ा कहां जाके थमेगा अभी इसकी कल्पना करना भी मुश्किल प्रतीत होता है। इस बीमारी ने जन जीवन पूरी तरह से अस्त–व्यस्त कर दिया है हरएक वर्ग पर इसका नकारात्मक प्रभाव डाला है यदि हम इस बीमारी के कारण किसी एक चीज पर सकारात्मक प्रभाव देखें तो वह है पर्यावरण निश्चित रूप से वैश्वीकरण व उदारीकरण के दौर में पर्यावरण का बहुत तेजी से दोहन किया जा रहा है। जब यह कोरोना वायरस तेजी से पूरी दुनिया में पांव पसारने लगा तब तमाम देशों ने लॉकडाउन की प्रक्रिया अपनाई इससे लोगों का घरों से निकलना बंद होने लगा और सड़कें, बजार, विद्यालय, महाविद्यालय, खेल, होटल यातायात के तमाम साधन कुछ समय के लिए बंद कर दिए गए। जिसके कारण पर्यावरण में सुधार होने लगा और इसकी वजह से प्रदूषण के स्तर में तेजी से सुधार होने लगा है। हर तरह का प्रदूषण चाहे वायु प्रदूषण हो जल प्रदूषण हो या फिर ध्वनि प्रदूषण हो। सभी में अच्छे सुधार देखने को मिल रहा है। वायु प्रदूषण से हमें सबसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है निश्चय ही लॉकडाउन के कारण वायु में बहुत अधिक शुद्धता आई है वायु प्रदूषण के स्तर में काफी सुधार हुआ है। खास तौर से हमारे शहरों का हाल बहुत बुरा था हमारी सरकारों के द्वारा कई उपाय प्रदूषण को कम करने के लिए समय–समय पर किए जाते रहे है परंतु उतने कारगर साबित नहीं हुए जितने कि इस लॉकडाउन व अनलॉकडाउन के दौरान कारगर साबित हो रहा है।

जल प्रदूषण लॉकडाउन से पूर्व व लॉकडाउन के बाद

कोविड –19 से पूर्व हमारी विभिन्न नदियों का जल बहुत ही अधिक प्रदूषित था परंतु अब सभी नदियों का पानी शुद्ध व पीने योग्य हो गया है। इससे हमें कही न कही सीख लेने कि आवश्यक्ता है कि हमें किस तरह से अपनी नदियों को साफ रखना है और इसमें ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सभी लोगों का सहयोग आवश्यक है। क्यों कि शहरों के लोग कल कारखानों का तथा घरों से निकलने वाला गंदा पानी सीधे नदियों में छोड़ देते हैं। कारखानों से निकलने वाला जहरीला गंदा पानी नदियों के जल को कितना दूषित करता है इसे आप सभी पाठक समझ सकते हैं। ग्राणीण अंचलों में निवास करने वाली जनता को भी सक्रीय रूप से सहयोग करना होगा नदियों को साफ रखने में घरों व गांव मुहल्लों से गंदे पानी की नालियां सीधे नदियों में न जाने दें इसके लिए कोई ऊचित उपाय होना चाहिए। ग्रामीण जनता प्रायः पशुओं नदी तलाबों में खुला छोड़ देते हैं जिससे की नदी तलाब का पानी गंदा होता है।

उपरोक्त लिखित गति विधियों से यदि हम बाज आते हैं तो निश्चय ही हम अनी नदियों साफ रखने में सफल होंगे। कोरोना वायरस फैलने के बाद जब मानव द्वारा अधिकतर गति विधियां बंद की गईं तो यह देखने को मिला कि हर तरह के प्रदूषण में अभुतपूर्व सुधार हुआ है। नदियों का पानी काला मटमैला दिखता था वह साफ सुथरा दिखने लगा जीव जंतु प्रसन्न होने लगे हैं। पहाड़ आसमान साफ नीले दिखने लगे हैं। जैसा की हम सब जानते हैं कि अत्यधिक मानव निर्मित गैसों के कारण ओजोन परत में 50 प्रतिशत छेद हो चुका है यह बात 1982 में सामने आई थी जब की इस बात को बीते हुए लगभग 38 वर्ष बीत चेके हैं तब हमशा हमारे वैज्ञानिकों द्वारा कड़ी निगरानी की जाती है। पृथ्वी के वायुमंडल समताप मंडल में ओजोन की एक परत है, यह हल्के निले रंग की गैस होती है इसकी परत सामान्यतः धरातल से 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाई जाती है। पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए ओजोन परत को बचाए रखना अति आवश्यक है यदि हम इसी तरह से आधाधुंध प्रकृति के साथ खेलवाड़ करते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि ओजोन परत समाप्त हो जाएगा और हमारा पर्यावरण नषट हो जाएगा और पूरी पृथ्वी प्रदूषित हो जाएगी फिर पृथ्वी पर जीवन जीना दूभर हो जाएगा। सूर्य के द्वारा निकलने वाली किरणें तथा विषैली गैसों से हमें ओजोन परत ही बचाता है।

प्रधान कार्यालय, लेखन एवं मुद्रण विभाग

रूप कुमार

हिंदी ई–टूल्स व इनके अनुप्रयोग

भाषा अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है और मानव जीवन का अभिन्न अंग है। संप्रेषण के द्वारा ही मनुष्य सूचनाओं का आदान–प्रदान एवं उसे संग्रहित करता है। गत शताब्दी में सूचना और संपर्क के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति हुई है। सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति ने ज्ञान के द्वारा खोल दिए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी का उपयोग करके इसको विश्वव्यापी स्तर पर अपनी भूमिका निभाने योग्य बनाने में यह राष्ट्रभाषा का महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है। सूचना प्रौद्योगिकी में राष्ट्रभाषा का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसके द्वारा विस्तार की असीम संभावनाएं हैं। इसी कड़ी में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस दिशा में भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं, जैसे कि राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए बहुत से हिंदी आई.टी. टूल्स एवं सॉफ्टवेयर राजभाषा विभाग द्वारा विकसित किए गए हैं।

चूंकि आज का युग कंप्यूटर और इंटरनेट का युग है। सूचना क्रांति का युग है। हमारे रोजमर्रा के अधिकांश कार्य कंप्यूटर के माध्यम से संपन्न हो रहे हैं। हम निश्चिंत हैं कि आज कंप्यूटर पर अंग्रेजी की तरह ही हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में भी सहजता से काम कर सकते हैं। कंप्यूटर की वह सारी सुविधाओं का लाभ, जो लगता था कि केवल अंग्रेजी को प्राप्त है, हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं के लिए भी उठा सकते हैं। यह सब हिंदी यूनिकोड द्वारा ही संभव हो सका है।

यूनिकोड

सर्वप्रथम यह समझना आवश्यक है कि यूनिकोड क्या है? क्या यूनिकोड कोई फॉन्ट है? क्या यूनिकोड कोई टंकण का टूल है? या यूनिकोड कोई हिंदी या भारतीय भाषाओं में टंकण करने का तरीका है? आखिर क्या है यूनिकोड...?

यूनिकोड एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है जो प्रत्येक अक्षर के लिए एक विषेश नंबर प्रदान करता है, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे कोई भी भाषा हो।

यूनिकोड को सक्रिय करना : कंप्यूटर पर हिंदी के प्रयोग के लिए पहली आवश्यकता यूनिकोड को सक्रिय करने की होती है। यूनिकोड एनकोडिंग को सक्रिय करते ही कंप्यूटर किसी भी भाषा में काम करने के लिए सक्षम हो जाता है। यूनिकोड विंडोज–2000 एवं उससे ऊपर वर्जन वाले कंप्यूटरों में उपलब्ध रहता है, केवल इसे सक्रिय (एनेबल) करने की आवश्यकता होती है। नीचे दी गई विधि के अनुसार इसे अपने कंप्यूटरों में सक्रिय कर सकते हैं –

विंडोज एक्सपी के लिए –

स्टार्ट>>> कंट्रोल पैनल >>> रीजनल एण्ड लेंग्वेज ऑप्शन्स >>> लेंग्वेजेज >>> एडिशनल लेंग्वेजेज सपोर्ट >>> राइट टू लेफ्ट और ईस्ट एशियन लेंग्वेजेस को टिक करें >>> फाइल कॉपी होना शुरू हो जाएगा (यदि आवश्यक हो तो कंप्यूटर को विन्डोज एक्सपी की सी.डी. उपलब्ध कराएं) >>> फाइल कॉपी हो जाने के बाद कंप्यूटर को रीस्टार्ट करें।

विंडोज–7/वस्टा के लिए –

स्टार्ट >>> कंट्रोल पैनल >>> क्लॉक, लेंग्वेज एण्ड रीजन >>> रीजनल एण्ड लेंग्वेज ऑप्शन्स >>> की–बोर्ड एण्ड लेंग्वेजेज >>> चेंज की–बोर्ड >>> एड >>> हिंदी भाषा और की–बोर्ड चुनें >>> ओके।

यूनिकोड एनकोडिंग को इंस्टॉल/उपयोग करना बहुत ही आसान है। इसकी जानकारी भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग की साइट (http://hindietools.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

कुंजी पटल / की–बोर्ड के विकल्प

इसमें तीन प्रकार के की–बोर्ड लेआउट उपलब्ध हैं –

1. इंस्क्रिप्ट की–बोर्ड,
2. फोनेटिक (ट्रांसलिटरेशन) की–बोर्ड,
3. रेमिंगटन की–बोर्ड

1. **इंस्क्रिप्ट की–बोर्ड :** इंस्क्रिप्ट में टंकण सीखना बहुत आसान है। इंस्क्रिप्ट लेआउट भारत सरकार का मानक होने की वजह से सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफॉल्ट में, यानि पहले से मौजूद रहता है। इंस्क्रिप्ट की–बोर्ड पर किसी एक भारतीय भाषा की टाइपिंग सीख लेने के बाद, किसी भी भारतीय भाषा की टाइपिंग की जा सकती है, क्योंकि सभी भारतीय भाषाओं के लिए इंस्क्रिप्ट की–बोर्ड एक समान है। ऊपर बताई गई विधि के अनुसार इसे अपने कंप्यूटरों में आसानी से सक्रिय किया जा सकता है। भाषा इंडिया (www.bhashaindia.com) पर इंडिक स्क्रिप्ट ट्यूटर नाम से एक सॉफ्टवेयर उपलब्ध है जिसकी सहायता से इंस्क्रिप्ट की–बोर्ड लेआउट सीखा जा सकता है। हिंदी इंस्क्रिप्ट टाइपिंग सीखने के लिए टीडीआईएल (www.tdil-dc.in) की साइट से निशुल्क हिंदी इंस्क्रिप्ट टाइपिंग ट्यूटर डाउनलोड किया जा सकता है।

2. **फोनेटिक (ट्रांसलिटरेशन)/रोमन की–बोर्ड :** फोनेटिक की–बोर्ड में हिंदी टंकण से अनभिज्ञ अधिकारी रोमन स्क्रिप्ट का उपयोग करते हुए हिंदी में आसानी से टंकण कर सकते हैं। यह स्वर आधारित की–बोर्ड है। इस की–बोर्ड में रोमन स्क्रिप्ट में टाइप करना होता है। टाइप करते समय विशेष – सभी पूरे व्यंजन के बाद '' टाइप करें। जिस व्यंजन को यदि आधा बनाना हो या मात्रा का प्रयोग करना है, व्यंजन के बाद'' टाइप नहीं करें।

3. रेमिंगटन की–बोर्ड लेआउट : रेमिंग्टन की–बोर्ड पूर्व से प्रचलित मैनुअल टाइपराइटर की तरह है।

हिंदी आई.टी. टूल्स एवं इनके प्रयोग

1. हिंदी इंडिक आईएमई : यह एक की–बोर्ड ड्राइवर है जो भाषा इंडिया (www.bhashaindia.com) पर उपलब्ध है। इसे फ्लॉपी, सी.डी. आदि माध्यमों से भी डाउनलोड करके इंस्टॉल किया जा सकता है। इंटरनेट या सीडी से कंप्यूटर पर डाउनलोड करने के बाद इसे रन करें और उसके बाद इस की–बोर्ड को एक्टिवेट करने के लिए निम्न प्रकार सेटिंग करें–

विंडोज एक्सपी में : स्टार्ट >>> कंट्रोल पैनल >>> रीजनल एण्ड लेंग्वेज ऑप्शन्स >>> लेंग्वेजेज >>> डिटेल्स >>> एड >>> इनपुट लेंग्वेजेज >>> हिंदी >>> की–बोर्ड लेआउट पर टिक लगाएं और ड्रॉपडाउन सूची में से इंडिक आइएमई को चुनें >>> ओके >>> कंप्यूटर को रीस्टार्ट करें।

विंडोज–7/विस्टा में : स्टार्ट >>> कंट्रोल पैनल >>> क्लॉक, लेंग्वेज एण्ड रीजन >>> रीजनल एण्ड लेंग्वेज ऑप्शन्स >>> की–बोर्ड एण्ड लेंग्वेजेज >>> चेंज की–बोर्ड >>> एड >>>हिंदी (इंडिया)>>>हिंदी इंडिक आईएमई की–बोर्ड चुनें >>> ओके।

यूनिकोड में टाइपिंग: कंप्यूटर में यूनिकोड सक्रिय हो जाने के बाद हिंदी में टाइपिंग करने हेतु निम्न तरीका अपना सकते हैं।

सबसे पहले नया वर्ड डॉक्यूमेंट खोलें >>> स्क्रीन के बॉटम ट्रे में दायीं ओर EN (English) चिह्न होगा, उस पर क्लिक करके HI (Hindi) को चुनें >>> (HI को चुनते ही की–बोर्ड ड्राइवर क्रियान्वित हो जाएगा) >>> टापइराइटर के चित्र पर क्लिक करके अपनी सुविधानुसार की–बोर्ड का चयन करें >>> मंगल फॉन्ट में हिंदी टाइपिंग शुरू करें।

अंग्रेजी में टाइप करना हो तो बॉटम ट्रे में HI पर क्लिक करें और म्छ को चुनें या।सज और Shift को एक बार दबाएं। पुनः हिंदी में टाइप करने के लिए वही पद्धति अपनाएं। इसके अलावा आप EN/HI पर क्लिक करके भी भाषा चुन सकते हैं।

2. **श्रुतलेखन (स्पीच टू टैक्स्ट टूल) :** इस विधि में प्रयोक्ता माइक्रोफोन में बोलता है तथा कंप्यूटर में मौजूद स्पीच टू टैक्स्ट प्रोग्राम उसे प्रोसैस कर पाठ/टैक्स्ट में बदलकर लिखता है। इस प्रकार का कार्य करने वाले सॉफ्टवेयर को श्रुतलेखन सॉफ्टवेयर कहते हैं। यह टूल राजभाषा विभाग की साइट पर गूगल वॉइस टाइपिंग के नाम से उपलब्ध है। इसकी सहायता से आप एक आसान तरीके से दस्तावेज में अपनी आवाज के साथ टाइप कर सकते हैं। फिलहाल, यह सुविधा क्रोम ब्राउजर में ही उपलब्ध है। सबसे पहले यह सुनिश्चित करें की आपके कंप्यूटर से एक माइक्रोफोन जुड़ा हुआ है और वह काम करता है तथा एक जी–मेल का यूजर आई.डी. पासवर्ड होना जरूरी है। आइए इसके द्वारा हिंदी में बोलकर टाइपिंग करने का तरीका समझते हैं –

सबसे पहले क्रोम ब्राउजर में http://google-com खोलें झझझ इसके बाद गूगल एप्स पर क्लिक करें >>> तत्पश्चात गूगल डॉक्स एप्प पर क्लिक करें >>> जी–मेल आई.डी. से लॉगिन करें >>> गूगल डॉक्स में एक नया दस्तावेज खोलें >>> उपकरण (ज्ववसे) मेनू >>> वॉइस टाइपिंग (VoiceTyping) पर क्लिक करें। एक पॉप–अप माइक्रोफोन बॉक्स दिखाई देगा। पॉप–अप माइक्रोफोन बॉक्स से हिंदी भाषा का चयन करें। अब आप पाठ बोलने के लिए तैयार हैं, तो माइक्रोफोन बॉक्स पर क्लिक करें या अपने की–बोर्ड पर Ctrl+Shift+S क्लिक करें >>> सामान्य गति और वोल्यूम से स्पष्ट रूप से अपना पाठ बोलें। रोकने के लिए माइक्रोफोन पर पुनः क्लिक करें।

वॉइस टाइपिंग की गलतियों में सुधार : आवाज के साथ टाइप करते हुए अगर गलती हो जाए तो गलती पर कर्सर ले जाकर और माइक्रोफोन से पुनः बोल कर ठीक कर सकते हैं। गलती सुधारने के बाद, आप आवाज टाइपिंग जारी रखना चाहते हैं, वहाँ कर्सर वापस ले जाएं।

अधिक जानकारी के लिए राजभाषा विभाग की साइट (http://hindietools.nic.in/0020) पर जाएं जहाँ आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल फोन पर भी हिंदी में बोलकर टाइप करने का तरीका समझ सकते हैं।

3. **मंत्र–राजभाषा :** मंत्र–राजभाषा एक मशीन साधित अनुवाद सिस्टम है, जो राजभाषा के प्रशासनिक, वित्तीय, कृषि, लघु उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य रक्षा, शिक्षा एवं बैंकिंग क्षेत्रों के दस्तावेजों का अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करता है। यह टूल राजभाषा विभाग की साइट पर उपलब्ध है।

4. **गूगल अनुवाद :** यह अनुवाद करने का सबसे तेज एवं सामान्य तरीका है जो https://translate.google.com/ पर उपलब्ध है अथवा गूगल एप्प में जाकर ज्तंदेसंजम का विकल्प चुनें। इसकी सहायता से अंग्रेजी से हिंदी व अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जा सकता है। गूगल अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं जैसे हिंदी, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी, मलयालम और कन्नड के बीच ट्रांसलेशन की सुविधा देता है। गूगल अनुवाद की सुविधा सभी यूजर्स के लिए गूगल सर्च और गूगल मैप में भी उपलब्ध है। ये अनुवाद सुविधा डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों पर उपलब्ध है।

गूगल में जी–मेल (Gmail) एकाउंट बनाकर अनुवाद करने पर, मेमोरी में ले लेता है जिससे भविष्य में सिमिलर टैक्स्ट आने पर सही अनुवाद करता है। यह सुविधा https://translate-google-com/toolkit पर उपलब्ध है।

5. ई–महाशब्दकोश : राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने सी–डैक पुणे की तकनीकी सहयोग से ई–महाशब्दकोश का निर्माण किया है। इस योजना के अंतर्गत शुरूआती दौर में प्रशासनिक शब्द संग्रह को देवनागरी यूनिकोड में प्रस्तुत किया

गया है। इसमें हम अंग्रेजी का हिंदी पर्याय तथा हिंदी शब्दों का वाक्य में अतिरिक्त प्रयोग देख सकते हैं। इसकी विशेषता यह भी है कि हम हिंदी शब्दों का उच्चारण भी सुन सकते हैं। यह एक बहुउपयोगी शब्दकोश है। इसमें हम अन्य शब्द जोड़ सकते हैं। ई–महाशब्दकोश अथवा राजभाषा विभाग की साइट पर उपलब्ध है।

6. **हिंदी फॉन्ट कनवर्टर :** यह टूल एक फॉन्ट में लिखे गए डाटा को दूसरे फॉन्ट में बदलता है। यह कई तरह की फाइलों पर इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे – माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, टैक्स्ट फाइल इत्यादि। इसकी सहायता से आप हिंदी के लगभग सभी पॉप्यूलर फॉन्ट्स को यूनिकोड में और यूनिकोड से अन्य हिंदी फॉन्ट में आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं। सभी प्रकार के स्टोरेज एवं फॉन्ट कनवर्टर डाउनलोड करने के लिए http://bhashaindia-com से TBIL Converter 32-bit 4.1 तथा TBIL Converter 64–bit 4.1 डाउनलोड कर सकते हैं। इस पैकेज के माध्यम से भी नॉन–यूनिकोड सामग्री को यूनिकोड आधारित मंगल फॉन्ट में बदला जा सकता है।

7. **लीला (LILA) हिंदी पाठ्यक्रम :** निशुल्क हिंदी भाषा सीखने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा तैयार किए गए लीला हिंदी प्रबोध, लीला हिंदी प्रवीण तथा लीला हिंदी प्राज्ञ पाठ्यक्रमों के सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। इन सॉफ्टवेयर्स को केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली तथा विभिन्न केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थानों से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

डिस्क्लेमर

उपरोक्त सभी आई.टी. टूल्स संबंधी जानकारियाँ विभिन्न स्रोतों से एकत्रित की गई हैं। यह संभव है कि आई.टी. टूल्स की गुणवत्ता प्रयोगकर्ता की अपेक्षा के अनुसार न हो, अतः यह सुझाव दिया जाता है कि प्रयोगकर्ता अपने विवेकानुसार आई.टी. टूल्स की आउटपुट को परिवर्तित कर फिर प्रयोग में लाएं।

आँचलिक कार्यालय, गुरुग्राम

विभाष कुमार

लैंगिक समानता के माध्यम से ही सामाजिक गैरबराबरी को खत्म किया जा सकता है।

देश की आधी आबादी को समाज की मुख्यधारा में लाकर उसके लैंगिक पिछड़ेपन को खत्म करने की दिशा में पिछले कुछ दशकों से काफी प्रयास किया गया है। उदारीकरण के बाद उत्पन्न स्थितियों के मद्देनजर इस विमर्श को और धार मिली है। उदारीकरण का विरोध करने वाले बाजार के दबाब में महिलाओं को एक उत्पाद की वस्तु बनाए जाने आदि कहकर इसका पुरजोर विरोध करते रहे है तो दूसरी तरफ इसके समर्थक उदारीकरण के बाद उत्पन्न हुए अवसरों के द्वारा ही आधी आबादी का उत्थान संभव है यह कहकर इसका समर्थन करते है। हम यहाँ आधी आबादी के उत्थान हेतु विमर्श करते हुए लैंगिक समानता अर्थात आधी आबादी की सामाजिक बराबरी हेतु किए गए अभी तक के सामाजिक एवं सरकारी प्रयासों पर विमर्श करेंगे।

पिछले दो–तीन दशकों में परिवार एवं समाज के स्तर पर काफी बदलाव आया है लेकिन लैंगिक समानता की दृष्टि से देखे तो अभी भी हमें परिवार एवं समाज के स्तर पर काफी और बदलाव लाने की आवश्यकता हैं। नौकरीपेशा से जुड़ी महिलाओं को परिवार में आर्थिक योगदान देने के कारण उनकी स्थिति तो काफी बदली है परंतु घरेलू महिलाओं की स्थिति अब भी काफी चिंतनीय है। क्या यह जरूरी है कि घरेलू महिलाओं द्वारा दैनिक कार्य हेतु परिवार के लिए किए गए श्रम (पारिवारिक कार्य) का आर्थिक मूल्य निर्धारण होनी चाहिए? काश ! सुबह से देर रात तक घरेलू महिलाओं द्वारा किए गए कार्यों का अगर समाज में आर्थिक महत्व दिखने लगे तो उसे भी पुरुषों के बराबर स्थान नहीं मिल पाता।

सामाजिक सुधार का गीत हमें नवजागरण काल से ही सुनाई देना शुरू हो गया था। सामाजिक स्तर पर महिलाओं के साथ लंबे समय चल रही कई कुरीतियों से हमें मुक्ति मिली थी। 19वीं सदी के प्रारंभ में शुरू हुए इस मुहिम को आजादी के बाद और गति देने की कोशिश की गई। संविधान बनाने के क्रम में हमने दूरदर्शिता दिखते हुए महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर अधिकार दिए। उस

समय हम कुछ चुनिंदा देशों की श्रेणी में थे जिन्होंने महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर कानूनी अधिकार दिए थे ।

यू तो हमारे संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार दिया है। संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 39(ए), अनुच्छेद 44 एवं अनुच्छेद 325 स्त्री एवं पुरुषों के समान अधिकारों की पुष्टि करते हैं।

सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को साथ ही अब तो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को मिलने वाले आरक्षण में भी उसी वर्ग की महिलाओं को समान रूप से अधिकार दिया गया है।

संविधान लागू होने के बाद भी आवश्यकतानुसार समय– समय पर

महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संसद द्वारा कानून बनाकर उन्हें कई कानूनी आधिकार भी दिए गए हैं जिसमें से कुछ अधिनियम निम्नलिखित हैं – अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम 1956, दहेज रोक अधिनियम 1961, एक बराबर पारिश्रमिक एक्ट 1976, मैडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रैगनैन्सी –1987,लिंग परीक्षण तकनीक (नियंत्रक और गलत इस्तेमाल के रोकथाम) एक्ट 1994, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005, बाल विवाह रोकथाम एक्ट 2006, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण एक्ट 2013 और महिलाओं पर होने वाले सबसे वीभत्स अपराध 'बलात्कार' पर 2013 में जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिश के बाद अधिकतम सजा फांसी की कर दी गई है साथ ही समय–समय पर इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण कानूनों को बनाकर/संशोधन करके महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास किया गया है। इन कानूनों के बनने के बाद महिलाएं निश्चित रूप से सशक्त हुई हैं। इन सब कानूनों का उद्देश्य उनके सामाजिक उत्थान रहा है। कहा भी गया है कि यदि किसी समाज को शिक्षित करना है तो उसकी महिलाओं को शिक्षित करो। विकास काफी हद तक शिक्षा पर निर्भर करता है।

बात देश की संस्थाओं या अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की करें तो प्रत्येक वर्ष एक नए थीम को लेकर 8 मार्च को महिला दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हमें यह स्वीकार करने में कतई गुरेज नहीं है कि आधी आबादी के प्रति हमारा विमर्श काफी हद तक उस दिवस तक सिमट कर रह जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा महिला उत्थान या सशक्तिकरण हेतु दी गई की परिभाषा को देखें तो इसके पाँच प्रमुख घटक हैं:

- नारी का स्वयं अपने महत्व को पहचानना।
- अपने जीवन यापन के विकल्प स्वयं निश्चित करने का अधिकार
- अवसर एवं संसाधन तक पहुँच का अधिकार
- अपने जीवन/कार्यक्षेत्र, में नियंत्रण का अधिकार

समाज की बेहतरी के लिए, सामाजिक एवं आर्थिक संतुलन लाने के लिए, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने का अधिकार।

अर्थात महिला उत्थान भौतिक, आध्यात्मिक, मानसिक तथा शारीरिक, व्यक्तिगत एवं सामाजिक सभी स्तरों पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया है।

हम सिर्फ कानूनी प्रावधानों के माध्यम से आधी आबादी को सशक्त नहीं कर सकते हैं। सिर्फ कानूनी आधिकार दे देने से ही महिलाएं

सशक्त नहीं हो सकती हैं। कानून के डंडे से हम महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया को हम आंशिक रूप से ही लागू करवा सकते है। जब तक हम सामाजिक/पारिवारिक स्तर पर जन–जागृति पैदा नहीं करते तब तक महिला सशक्तिकरण की बात बेईमानी ही साबित होगी।

महिला उत्थान एक बहुआयामी प्रक्रिया हैं। जिसमें हम महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं शैक्षणिक परिस्थितियों की तुलना पुरुषों को मिलने वाले इन अधिकारों से करके देखते हैं। कुछ शिक्षित एवं शहरी महिलाओं को छोड़ दे तो देश की आधिकांश महिलाओं को पुरुषों के बराबर अभी भी अवसर नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए सदियों से चल रही हमारी पितृसत्तात्मक सामाजिक पद्धति एक महत्वपूर्ण कारक हैं। हमारे देश में यह अत्यधिक जटिल ताने–बाने के साथ उपस्थित है, जिसमें सभी जाति, वर्ण, वर्ग और ध र्म सम्मिलित हैं। इसलिए लैंगिक समानता सिर्फ किसी एक जनपद, प्रदेश का विषय न होकर अखिल भारतीय विषय है। इसके लिए हमें चतुर्दिक प्रयास करने की आवश्यकता है। तभी हम अपनी आधी आबादी को न्याय दिला सकते है। यह कहने में हमें कतई गुरेज नहीं है व्यक्तिगत प्रयासों से हमने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। जिन्हें हम अपना प्रतीक बनाकर चल रहे है। प्रेरणा और प्रोत्साहन के लिए ऐसे प्रतीकों की अवश्यकता हमारे जीवन में नितांत आवश्यक है। आज हम गर्व से कह सकते है कि देश सभी महत्वपूर्ण पदों को महिलाएं सुशोभित कर चुकी है। ज्यों–ज्यों उसे अवसर प्राप्त हो रहा है वह अपने आपको साबित भी कर रही है। बड़े शहरों में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अवसर मिल रहा है परंतु आधारभूत संरचना और सामाजिक सोच के ओछापन के कारण छोटे शहरों एवं ग्रामीण इलाकों में उन्हें समान अवसर अभी भी प्राप्त नहीं हो पा रहा हैं।

आजादी के बाद सरकार लैंगिक समानता को ध्यान में रखते हुए सैकड़ों कार्यक्रमों तथा योजनाओं की रूपरेखा बनी, उसमें से कईयों को अमली जामा भी पहनाया भी गया है। आजादी के बाद पहले तीन दशकों तक "महिला कल्याण" की शब्दावली का प्रयोग आमतौर पर किया जाता रहा है। 80 के दशक में महिला कल्याण के स्थान पर "महिला विकास" की शब्दावली प्रयुक्त होने लगी, कालान्तर में 90 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में "महिला समानता" या उन्हें बराबरी

के हक दिलाने पर जोर देने की बात की जाने लगी। 90 के दशक के अंतिम चरण में और विशेषकर 21 वीं शताब्दी में प्रवेश करते ही चारों ओर महिला सशक्तिकरण का स्वर तेज होता गया। इसी का एक महत्वपूर्ण चरण आज "बेटी बचाओं और बेटी पढ़ाओं" के रूप हमें देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दशकों से देश में लिंगानुपात में काफी असमानता देखी गई थी। उसी के मद्देनजर पिछले चार–पाँच वर्षों में सामाजिक भागीदारी के साथ सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस मुहिम उल्लेखनीय सफलता मिली है। बच्चियों (0–5 वर्ष) के लिंगानुपात में काफी सुधार देखने को मिला है।

उदारीकरण से हमारे आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक वातावरण पर काफी सकारात्मक बदलाव आया है। साथ ही कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन एवं निर्माण हेतु सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था (न्यायपालिका/कार्यपालिका) काफी सक्रियता दिखा रही है। महिला सशक्तिकरण हेतु इसे हम आदर्श परिस्थिति तो नहीं कह सकते है परंतु यह काफी हद तक अनुकूल परिस्थिति जरूर है।

आज समाज के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं अपना एक स्वतंत्र पहचान बना रही हैं। "ग्लास सीलिंग"के मिथक को तोड़ते हुए आज महिलाएं अपने दम पर सभी क्षेत्रों में अपना परचम लहरा रही हैं। चाहें तो महिलाएं क्या नहीं कर सकती। कल्पना चावला, पीटी उषा, मैरी कॉम, साइना नेहवाल, आदि लाखों महिलाओं ने अपने कठिन परिश्रम, समर्पण एवं त्याग के बल पर न केवल अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है बल्कि देश का सर भी गर्व से ऊंचा किया है। ऐसे ही लाखों महिलाएं भिन्न–भिन्न कालखंड में हमारे देश में पैदा हुई है जो ज्ञान–विज्ञान, कला, साहित्य, खेल, समाज सुधार, सामाजिक सेवा, आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। गांधी जी के नेतृत्व में देश के स्वतंत्रता संग्राम हो या आज देश के दुर्गम सीमा पर प्रहरी के रूप में खड़ा होना। महिलाएं आज पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है।

देश में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सामाजिक, राजनीतिक स्तर पर हो रहे इन प्रयासों के बाबजूद कुछ कुंठित मानसिकता के लोग अभी भी है। सबसे पहले हमें समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों को मारने वाली राक्षसी सोच (दहेज प्रथा, यौन हिंसा, असमानता, भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, बलात्कार, वैश्यावृति, मानव तस्करी, अशिक्षा आदि) को मारने की जरूरत है तभी हम आधी आबादी को न्याय दिला पाएंगे और सशक्त कर पाएंगे। लैंगिक भेदभाव राष्ट्र में सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक अंतर ले आता है जो देश को पीछे की ओर धकेलता है। भारत के संविधान में उल्लिखित समानता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना ही पड़ेगा। लैंगिक समानता को प्राथमिकता देने से पूरे भारत में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। लैंगिंक समानता के लक्ष्य को शत–प्रतिशत प्राप्त करने के लिए इसके मूल तत्व को हमें इसे हर एक परिवार में बचपन से प्रचारित व प्रसारित करना चाहिए। जिससे न केवल सामाजिक चेतना का विस्तार होगा बल्कि कुछ कुंठित मानसिकता के लोग समाज में अभी भी विद्यमान है उनका महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण भी बदलेगा ।

आधी आबादी को समाज के मुख्यधारा में जोड़ने की प्रक्रिया तब तक अधूरी रहेगी जब तक पुरुष भी महिलाओं के साथ कंधे से कंधे मिलाकर नैतिक, आध्यात्मिक एवं बौद्धिक रूप से पूर्ण आस्था के साथ इस मुहिम के साथ जुड़ न जाए। अन्यथा हमें आधी आबादी के उत्थान की राह में खड़े चुनौतियों से लड़ने में पूर्ण सफलता नहीं मिल सकती।

किसी ने सत्य ही कहा है
किसी ने ठीक ही कहा है"
पानी की तरह बहना चाहती हूँ ...
कुछ ऊँचा ही सही उड़ना चाहती हूँ ...
हवा की तरह बिन बंदिश दूर निकलना चाहती हूँ ...
बंदिशों में नहीं ख्वाहिशों के संग जीना चाहती हूँ ...
फिर बहारों की तरह महकना चाहती हूँ ...

अपने वजूद की तलाश में उन रास्तों पर चलना चाहती हूँ...
जिसपर खोने का डर था, उन्हीं रास्तों पर मंजिल को पाना चाहती हूँ ...
मै पल-पल जीवन को जीना चाहती हूँ ...
मै उड़ना चाहती हूँ ...

लैंगिंक समानता के संदर्भ में यह पंक्ति काफी समीचीन बैठता है। हमारे इस प्यारे देश में आधी आबादी के लिए जिस दिन इस तरह की स्थिति आ जाएगी उस दिन सच्चे अर्थों में लैंगिंक समानता को लेकर चल रहे हमारे मुहिम को एक मुकाम मिलेगा। देश कि आधी आबादी इस आशा के साथ जी रही है कि वह दिन जल्द ही आएगा।

स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज, रोहिणी

महान संकल्प ही महान फल का जनक होता है।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

योग भारत की ओर से पूरे विश्व को दी गई अनमोल भेंट है। जीवन को नकारात्मकता से दूर करके स्वस्थ, सुखी एवं आनंदित जीवन जीने में योग महत्पूर्ण भूमिका निभाता है। वर्ष 2014 से संपूर्ण विश्व में प्रत्येक वर्ष 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2020 में कोविड–19 महामारी के कारण योग दिवस को सार्वजनिक रूप से नहीं मनाया गया। इसलिए बैंक में भी सभी कार्मिकों को अपने घर में ही योग करने की सलाह दी गयी जिसे बैंक कार्मिकों ने भी पूर्ण तन्मयता से किया। प्रस्तुत है कुछ झलकियाँ –

मनस्वी गुप्ता

प्रादेशिक भाषा कड़ी में पंजाबी रचना

ਮਾਨਸਿਕਤਾ

ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰੀਰਿਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਨਕਰਾਤਮਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ।

ਬਹੁੱਤ ਸਾਰੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਖੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਤੀਜ਼ਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉਸਦੇ ਬੱਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ – ਸਥਿਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ।

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅੱਵਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅੱਵਲ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਤੋਂ ਓਤੇ ਪਧਰ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਖੋਹ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨਾਲੋਂ ਖੁੱਦ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖੁੱਦ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁੱਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਨਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਪਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੋਨੋ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਂਹੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

प्रधान कार्यालय, विदेशी विनिमय विभाग

अंकित शर्मा

मानसिकता

आज के युग में जहाँ हर कोई जिंदगी की दौड़–भाग में व्यस्त है, ऐसे समय में मनुष्य को शारीरिक रोगों से ज्यादा खतरा नकारात्मक मानसिकता और इससे होने वाले मानसिक रोगों से है।

बहुत सारे मनोवैज्ञानिक खोज करके इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि मनुष्य की मानसिकता का विकास उसके बचपन से ही होना शुरु हो जाता है। बचपन में बच्चों को दिए गए दिशा–निर्देश ही भविष्य में उनकी सोच और व्यक्तित्व का मूल निर्धारण करते हैं।

किसी भी मनुष्य की मानसिकता को दो भागों में बाँटा गया है–

1. स्थिर मानसिकता तथा
2. विकसित मानसिकता

1. स्थिर मानसिकता – बच्चों को हमेशा अच्छे अंक लाने के लिए

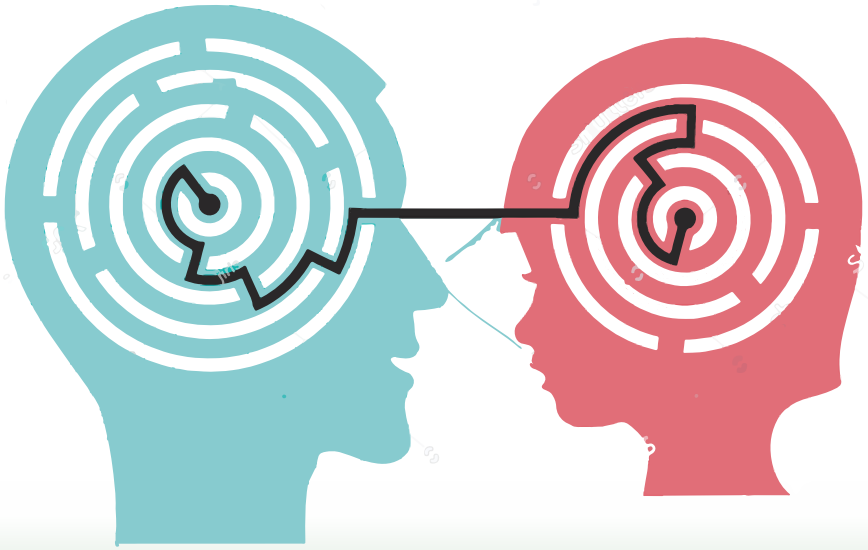

कहना एवं हमेशा अव्वल रहने के लिए प्रेरित करना उनको स्थिर मानसिकता की ओर ले जाता है। ऐसी मानसिकता वाले बच्चे सदैव प्रथम आने के प्रयास में लगे रहते है। ऐसे बच्चे सदैव एक बार जिस मुकाम पर टिक जाते हैं उससे ऊपर के मुकाम पर मुकाबला करने में कतराते रहते है और अगर उनको हार का सामना करना पड़ जाए तो वह अपना विश्वास खो बैठते है और जीवन में आगे बढ़ने की बजाय अपने लक्ष्य से दूर होते जाते हैं या यूं कहिए की आगे बढ़ने की बजाए पीछे की ओर जाने लगते हैं।

2. विकसित मानसिकता – विकसित मानसिकता की बात की जाए तो इसमें माता–पिता द्वारा अपने बच्चों को अच्छे अंक लेकर आने के लिए उन्हें स्वयं का विकास करना, अपनी कमजोरियों को पहचानना और उन्हें दूर करने के लिए उन पर काम करके उन्हें दूर करने के लिए प्रेरित करना शामिल हो जाता है। विकसित मानसिकता वाले बच्चे सदैव स्वयं की उन्नति/प्रगति के लिए काम करते हैं। अगर वह किसी परीक्षा में सफल नहीं भी हो पाते तो वह उससे सीख लेकर उस कमी को दूर करने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते है। ऐसे बच्चे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते है और खुश रहते है।

आज समय की माँग है कि माता–पिता अपने बच्चों को सही शिक्षा प्रदान करें और आगे बढ़ने में सहायता करें न कि उनके ऊपर अपनी उम्मीदों का भार डालकर उनका बचपन एवं भविष्य खराब करें। यह एक छोटी सी शुरूआत है जिसके कारण नकारात्मक मानसिकता एवं इससे होने वाले मानसिक रोगों को आरंभ से ही दूर किया जा सकता है।

प्रधान कार्यालय, जनसंपर्क विभाग

तनय वर्मा

एनपीए की वसूली के लिए वैधानिक प्रावधान

बैंकों की वह परिसंपत्तियाँ जिन पर बैंक कोई लेन–देन नहीं कर पाता या जिन परिसंपत्तियों पर बैंक को कोई रिटर्न नहीं मिलता एनपीए कहलाती है। ग्राहकों द्वारा लिए गए ऋण पर मूलधन या ब्याज अदायगी न होना इसे एनपीए बनाता है।

इसकी मूलतः निम्नलिखित श्रेणियाँ हैः–

1. अवमानक परिसंपत्तियाँ
2. संदिग्ध परिसंपत्तियाँ
3. लुप्त परिसंपत्तियाँ

कृषि ऋण के संदर्भ में कोई भी कृषि ऋण तब एनपीए माना जाता है जब उसकी अदायगी दो फसल या एक वर्ष के भीतर न की गई हो।

आज के परिदृश्य में एनपीए ने विकराल रूप धारण कर लिया है, जिसका सीधा प्रभाव बैंक/वित्तीय संस्थानों के व्यवसाय पर साफ देखा जा सकता है।

इसी समस्या से निपटने हेतु बैंक/वित्तीय संस्थाओं को कुछ वैधानिक प्रावधान प्राप्त है, जिनके द्वारा वह एनपीए रिकवरी कर सकते है। इनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैः–

एनपीए की वसूली के लिए वैधानिक प्रावधान

1. **सिविल सूट पंजीकरण/फाइलिंगः** वित्तीय संस्थानों को बकाया ऋण/राशि वसूलने के लिए सामान्य/सरल धन सूट दर्ज करना या सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (आदेश 37) के तहत सारांश सूट दर्ज करना होता है। सारांश सूट (Summary Suit) तुलनात्मक रूप से साधारण सूट (Ordinary suit) से तुलनात्मक रूप से तेजी निपटारे जाते हैं और लिखित समझौतों और अनुबंधों से उत्पन्न होने वाले ऋण/धन की वसूली के लिए सभी सूट पर लागू होते हैं।
2. **DRT के द्वारा वसूलीः** ऋण रिकवरी ट्रिब्यूनल के माध्यम से वसूली बैंक रिकवरी ट्रिब्यूनल (डीआरटी) बैंकों और वित्तीय संस्थान अधिनियम, 1 99 3 (आरडीडीबीएफआई अधिनियम 1 99 3) के कारण ऋण की वसूली के तहत गठित की गई है ताकि बैंकों को ऋण चूक की वसूली से संबंधित मामलों के त्वरित निर्णय में मदद मिल सके। डिफॉल्ट राशि 10 लाख रुपये से अधिक। डेबिट रिकवरी ट्रिब्यूनल (डीआरटी) के आदेश के खिलाफ अपील ऋण रिकवरी अपीलीय न्यायाधिकरण (डीआरएटी) से पहले झूठ बोल सकती है। 31 मार्च 2015 तक, भारत में 33 डीआरटी और 5 डीआरएटी हैं।
3. **सरफेसी अधिनियम 2002:** सरफेसी वित्तीय परिसंपत्तियों के सुरक्षा और पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम 2002 के प्रवर्तन के लिए है। यह अधिनियम बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ऋण वसूलने के लिए आवासीय या व्यावसायिक संपत्तियों को बेचने में सक्षम बनाता है। सरफासेआई अधिनियम की धारा 13 (4) के अनुसार बैंकों और वित्तीय संस्थानों को गैर–निष्पादित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किए जाने पर अदालतों के पास बिना डिफॉल्टर्स से (बंधक सुरक्षा) का अधिकार ले सकता है। बैंक (सीजेएम) के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सहायता से डिफॉल्टर को सार्फासेआई नोटिस की सेवा के साठ दिनों के भीतर सुरक्षित संपत्तियों का कब्जा ले सकता है। बैंक के एक अधिकृत अधिकारी सरफेसी की कार्यवाही शुरू कर सकते हैं जहां बैंक शेष बकाया राशि की ब्याज के साथ धनवापसी की मांग कर सकता है। ऋण खाते को नियमित करने की बजाय बैंक मांग करता है कि पूरी राशि वापस भुगतान की जाती है क्योंकि बैंक अग्रिम मांग पर चुकाया जा सकता है। यहां तक कि यदि देनदार देय राशि का भुगतान करके खाते को नियमित करता है, तो सरफेसी कार्यवाही को उलट और बंद नहीं किया जा सकता है। अधिनियम सभी (एससीबी) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर लागू है।

4. **लोक अदालतः** लोक अदालत जो माननीय नागरिक अदालतों द्वारा आयोजित की जाती हैं, उन मामलों में दो पक्षों, बैंक और उधारकर्ता के बीच समझौता कराती है जो कानून की किसी अन्य अदालत से 20 लाख रुपये तक की सीमा तक लंबित हो सकता है।

5. **संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) और एनपीए की बिक्रीः** परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां सिक्योरिटनाइजेशन और वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के धारा 3 के तहत गठित की गई हैं। एआरसी का प्राथमिक उद्देश्य बैंकों के स्वामित्व वाली खराब परिसंपत्तियों का तेजी से निपटान है ताकि वे अपनी बैलेंस शीट को साफ कर सकें। एआरसी बैंकों की बैलेंस शीट से एनपीए को अलग करके खराब बैंक के रूप में कार्य करते हैं और बैंकों को वसूली के प्रति अपने प्रयासों और संसाधनों को रूट करने के बजाय सामान्य और सामान्य बैंकिंग गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाता है। बैंक एआरसी को अपनी बुरी संपत्ति का निपटान करते हैंय एआरसी अनुलग्नक, परिसमापन और सुरक्षा के माध्यम से एक राशि वसूल।

6. दिवालियापन और दिवालियापन संहिता (आईबीसी –2016): कॉर्पोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के पुनर्गठन और दिवालियापन से संबंधित कानूनों को समेकित करने और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम है, जो संपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने के लिए समयबद्ध तरीके से ऐसे व्यक्तियों, उद्यमिता को बढ़ावा देने, क्रेडिट की उपलब्धता और सरकारी हितों के भुगतान की प्राथमिकता के क्रम में परिवर्तन सहित सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करने और भारत की दिवालियापन और दिवालियापन बोर्ड स्थापित करने और इसके साथ जुड़े मामलों या आकस्मिक मामलों के लिए। आईबीसी –2011 का दृष्टिकोण भारत में दिवालियापन और दिवालियापन से निपटने के लिए एक संयुक्त कानूनी ढांचे के तहत एक स्पष्ट और समामेलित व्यवस्था प्रदान करना है जो लंबे समय से देय है। कोड किसी कंपनी में परेशानी को हल करने या कंपनी को समाप्त करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। परिसमापन प्रक्रिया के लिए नियम कोड लागू करने के लिए दिवालियापन और दिवालियापन बोर्ड ऑफ इंडिया (आईबीबीआई) द्वारा अधिसूचित नियमों का हिस्सा हैं। **नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) सरकार द्वारा सशक्त है।**

7. **वन–टाइम निपटान (ओटीएस)** एक समझौता पारस्परिक सहमति और समझौते पर एक विवाद निवारण और समझौता तंत्र पर पहुंच गया है। यह विवाद के लिए सभी पक्षों के हिस्से पर बलिदान के कुछ फायदे और लाभ के कुछ घटकों के साथ एक समझौता है। यह बैंक के एनपीए में कमी के लिए एक गैर–कानूनी उपाय है। वार्ता समझौता राशि बढ़ाने और जीत–जीत की स्थिति बनाने के लिए बातचीत समझौता किया गया है। प्रत्येक बैंक अपनी खुद की वसूली नीति तैयार कर सकता है और एनपीए खाते में बकाया समझौते के के लिए दिशानिर्देश बना सकता है। यह समझौता, समझौते के अतिरिक्त छोटे और सीमांत किसानों के लिए आरबीआई ओटीएस योजना की विशेष वन–टाइम निपटान योजनाओं के तहत हो सकता है, आरबीआई ओटीएस 2005 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए एसएमई के लिए सरकार/आरबीआई द्वारा समय–समय पर विशिष्ट लक्ष्य के उद्देश्य से तैयार किया जाता है।

8. **रिकवरी कैंप** : बैंक के कर्मचारी संयुक्त रूप से दोनों पक्षों के लिए सुविधाजनक स्थान और समय पर पुनर्भुगतान के लिए डिफॉल्ट उधारकर्ताओं से संपर्क करते हैं। ये छोटे ऋण के लिए अधिक उपयुक्त हैं। बैंक अपनी शाखाओं में वसूली शिविर आयोजित करने के बजाय, पंचायत बोर्ड कार्यालयों, अदालत भवनों सरकारी विभाग की इमारतों जैसे केंद्रों में ऐसे रिकवरी शिविर आयोजित करते हैं। आम तौर पर बैंक शाखाओं के प्रभारी प्रबंधक कुछ शाखा अधिकारियों के साथ प्रत्येक उधारकर्ताओं के प्रत्येक घर में जाते हैं और उनके द्वारा प्राप्त किए गए ऋणों के संबंध में किस्तों को पुनर्प्राप्त करते हैं। वसूली शिविरों की तारीख का जिक्र करने वाले उधारकर्ताओं पर अग्रिम सूचना के मामले में इस प्रकार का वसूली शिविर सफल होता है।

एनपीए की बढ़ती समस्या बैंकों/वित्तीय संस्थानों के लिए एक परेशानी का सबब बने हुए है। वैसे तो एनपीए के बढ़ने के अनेक कारण हैं परंतु हमें जरुरत है कि हम इस आपदा को अवसर में परिवर्तित करें एवं बैंक व्यवसाय में नए आयाम जोड़े। यह तभी संभव हो सकता है जब हम अनर्जक आस्तियों को अर्जन का स्रोत बनाए एवं उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों का उपयोग कर एनपीए की चुनौती से निजात पाएं।

प्रधान कार्यालय, मानव संसाधन विभाग

कुलदीप सिंह खुराना

संत चाचा फग्गूमल

लगभग 350 वर्ष पूर्व मुगल सम्राट बादशाह औरंगजेब के अत्याचारों से उत्पीड़ित होकर भईया सिंह अपने परिवार सहित दौलताबाद (प्राचीन सूबा पंजाब) को छोड़कर पूर्व की और चल पड़े। जंगलो, पहाड़ों, नदियों के रास्ते छिपते–छिपाते सर्वप्रथम आगरा शहर पहुंचे परंतु उन्हे इस शहर में कोई स्थान गुजर–बसर करने लायक नही मिला। निराश होकर पूरब दिशा की और बढ़ते गए। बिहार प्रान्त के एक छोटे से कस्बे "सासाराम" पहुंचे। यहां इन्हे सहारा मिला। भईया सिंह को एक क्षत्रिय परिवार में मुनीम तथा परिवार की देख–रेख की नौकरी मिल गई। दिन बीतते गए ईश्वर की अपार कृपा से भईया सिंह का परिवार सुख–चैन से रहने लगा।

संवत् 1723 विक्रमी "सन 1666 ई." को सासाराम स्थित गुरू घर के मसंदों एवं अन्य सिखों को गुरूघर से हुक्मनामा प्राप्त हुआ कि नौवें गुरू, गुरू तेग बहादुर जी महाराज पूरब की उदासी (यात्रा) पर निकल चुके हैं और एक निश्चित तिथि को सासाराम में चाचा फग्गूमल जी से भेट करेंगे। यह हुक्मनामा सभी नगर वासियों में बिजली की तरह फैल गया । गुरू साहिब के स्वागत की तैयारियां बहुत जोरों से होने लगीं। इस नगर के बड़े–बड़े धनाढ्य खत्री व्यवसायियों ने नगर के पश्चिमी फाटक से लेकर उनके ठहरने के स्थान तक मखमली पावड़े बिछा दिये। कार्य में व्यस्त होने के कारण एवं धन–अभिमान के कारण मस्त खत्रियों ने अपने अधीस्थ काम करने वाले भईया सिंह एवं टेकमणि को गुरू साहिब की अगवानी के लिए भेज दिया। भईया सिंह तथा टेकमणि दोनों पिता पुत्र उस समय के प्रचलित वाहन टीमटीमीया एवं कुछ उपहार लेकर स्थानीय संग का नेतृत्व करते हुए नगर के पश्चिमी फाटक के बाहर गुरू साहिब की अगवाई के लिए समय से पूर्व पहुंच गए। श्रदेय चाचा फग्गूमल जी की अति वृद्धावस्था होने के कारण चलने–फिरने से मजबूर थे। अतः वे स्वयं अपने निवास पर ही ध्यान मगन होकर गुरू साहिब की अगवानी करने लगे।

चाचा फग्गूमल वहां के स्थानीय गुरूद्वारे के संत थे उनके नाम से ही गुरूद्वारे का नाम भी गुरूद्वारा चाचा फग्गूमल साहिब जी है। चाचा फग्गूमल नानकशाही संत थे जो गुरू अमरदास जी के हुकम का पालन करते हुए पंजाब के फगवाड़ा शहर से पंथ–प्रचार के लिए बिहार आए थे। उसके बाद वे यहीं के होकर रह गए।

जब चाचा फग्गूमल जी को गुरू साहिब के आने की खबर मिली तो वे उनके स्वागत एवं सेवा के लिए क्षेत्र के धनाढय लोगों के घर न जाकर प्रातः ही गुरू घर के सेवकों के घर जा कर अन्न, खाद्य सामग्री तथा कार सेवा (उग्राही) एकत्रित करनी शुरू कर कर दी। एक घर के बाहर एक वृद्ध महिला जो घर की साफ–सफाई कर रही थी जब उसके घर के बाहर चाचा फग्गूमल ने कुछ दान करने की गुहार की तो वह महिला भड़क गई और कहने लगी की क्या सुबह–सुबह मांगने के लिए आ जाते हैं, मेरे पास अभी देने को कुछ नही है। संत फग्गूमल ने जब फिर से आग्रह किया तो उस महिला ने घर की सफाई करते

हुए (बहुरन) जो कूड़ा इक्ट्ठा किया था कपड़े में लपेट कर संत जी को दे दिया। संत जी ने भी उसे सत्कार सहित स्वीकार किया और वापिस चल दिये।

उधर गुरू तेग बहादुर जी अपने परिवार माता नानकी जी, धर्मपत्नी माता गुजरी जी, भाई संगतिया सुखनंद, नतु रबाबी, पत्नी भ्राता कृपाल चंद,साहिब चंद,गुरूबख्श, मतीराम साधु आदि सिख संगत के साथ पहुंच कर सासाराम की धरती को अपने चरणों से पवित्र किया। सबसे पहले गुरू साहिब के चरणों को स्पर्श करने व आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य भईयां सिंह एवं टेकमणि सिंह जी को प्राप्त हुआ। इन दोनों को साधारण पोशाक में देख गुरू साहिब ने प्रश्न किया कि "तुम कौन हो? जी हजूर मालिकों के ताबेदार सरकार ! अच्छा तो तुम्हारे मालिक नही आए? जी हजूर, कार्य में वयस्त होने के कारण नही पहुंच सके, मगर आप किसी बात की चिंता न करें, मालिकों ने आपकी अगवाई की पूरी जिम्मेदारी हमें सौंपी है हजूर। आप चलें, हम उम्मीद करते हैं कि रास्तें में उनसे मुलाकात हो जाएगी"।

श्री गुरू तेग बहादुर जी फरमाने लगे "भईया सिंह वास्तविक प्रेमी तथा सेवादार तो तुम हुए उन्होंने तो केवल आदेश किया है"। यह कह कर गुरू साहिब ने मखमली पावड़े को छोड़कर दूसरे रास्ते से चल पड़े जो आज आधुनिक मौहला भारती गंज है। रास्ते में एक जगह गुरू साहिब का घोड़ा रूक गया और टस से मस होने के लिए तैयार नही था। तभी गुरू जी ने ऐलान किया कि यहां पर एक गुरूद्वारा बनेगा जिसका नाम टकसाल होगा, तब घोड़ा आगे बढ़ा और गुरू जी माननीय चाचा फग्गूमल की कुटिया में जा विराजे।

दर्शनी दरवाजा या छोटा दरवाजा के नाम से विख्यात यहां 45 इंच उंचा, 35 इंच चौड़ा छोटा दरवाजा है जिससे होकर नवम पातशाही जी ने चाचा फग्गूमल की कुटिया में दर्शन दिए थे। इस दरवाजे को मूल स्वरूप में आज भी देखा जा सकता है। चाचा फग्गूमल ने गुरू साहिब के चरणों को स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त किया तथा उनके साथ आए सभी संगतों का यथाशक्ति स्वागत एवं सत्कार किया। सासाराम की सारी संगत गुरू जी व उनके परिवार की सेवा में लग गई।

चाचा फग्गूमल ने स्थानीय निवासियों से उगाही कार सेवा (उग्राही) को गुरू जी के चरणों में अर्पित कर दिया लेकिन वृद्ध महिला से प्राप्त बहुरन (कूड़ा) लज्जावश छुपा लिया। गुरू साहिब ने फग्गूमल से कहा वह बहुरन भी तो लाओ जो माता जी ने आपको दिया था। चाचा फग्गूमल शर्मिदां हुए और वह बहुरन गुरू जी को अर्पित कर दिया। गुरू जी ने जब एक कपड़े की गाँठ में बंधे उस बहुरन को

खोला तो उसमें से एक बेर की गुठली मिली जिसे गुरू साहिब ने उस कूडे से उठा कर कुटिया के आंगन में रोप दिया। वहां बहुत बड़ा बेर का पेड़ आज भी गुरू तेग बहादुर जी के आगमन की याद दिलाता है इसमें साल भर फल लगते हैं, वहीं उस चौकी के दर्शन किए जा सकते हैं जिस पर गुरू जी अपने सासाराम प्रवास के दौरान हर रोज स्नान किया करते थे। सासाराम में गुरू साहिब ने 21 दिन तपस्या की और गुरू साहिब जितने दिन सासाराम मे रहे भईया सिंह तथा टेकमणि सिंह उनके साथा–साथ साये की तरह सेवा करते रहे। उन दिनों खूब शबद–कीर्तन, सत्संग हुए। गूरू साहिब ने यहां रह कर की रचनाएं भी कीं। उन्होने यहां पर राग जैजैवंती महला, धुर की वाणी बक्शी। सासाराम के निवासी हिन्दू, सिख, मुसलमान सभी गुरू साहिब के उपदेशों को सुनकर गुरू साहिब के प्रेमी बन गए। गुरूजी द्वारा लगाया गया 350 वर्ष पुराना बेर का पेड़ गुरूद्वारा परिसर में मौजूद है। यह पेड़ आज भी हरा–भरा है। सिख इतिहास के अनुसार बाबा बुड्ढा जी के बाद संत फग्गूमल जी, ऐसे दूसरे व्यक्ति थे जिन्हें छः गुरूओं (गूरू अमर दास जी से गुरू तेग बहादुर जी तक) के चरणों की छांव प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ।

सासाराम का दूसरा प्रमुख गुरूद्वारा है गुरू का बाग। कहा जाता है कि यहीं नवीं पातशाही गुरू तेगबहादुर जी ने अपना घोड़ा बांधा

था। गुरूद्वारा चाचा फग्गूमल के पास ही गुरूद्वारा टकसाल संगत, गुरूद्वारा छोटी संगत, गुरूद्वारा बड़ी संगत गुरूद्वारे हैं। इस प्रकार सासाराम में कुल 9 ऐतिहासिक गुरूद्वारे हैं जिनका प्रबंधन सासाराम शहर के सिख समुदाय के लोग करते हैं।

सासाराम से प्रस्थान के दिन गुरू साहिब ने प्रातःकालीन दीवान सजाए तथा अमृतवाणी से वहां की संगतों को कृतार्थ किया। अंत में अरदास कर लंगर प्रसाद वितरित कर स्थानीय संगत से विदा लेते हुए "गया" के लिए प्रस्थान किया। भईयां सिंह तथा टेकमणि सिंह श्रद्धा स्वरूप उनके साथ–साथ फल्गू नदी के पश्चिम छोर तक उनके साथ गए। गुरू साहिब ने उनसे बिदाई लेने से पूर्व कहा कि "भईया सिंह मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रभावित हुआ हूं, मांग क्या मांगता है मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। हे गुरू देव आप अन्तर्यामी हैं, घट–घट के वासी हैं मुझे तो बस आपकी कृपा दृष्टि चाहिए– भईया सिंह विनीत भाव से बोला"। गुरू साहिब ने गद्–गद् हो कर भईया सिंह को अपना एक लोहे का तीर, एक सौसाखी एवं चरण–चिह्न प्रदान किए और आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम और तुम्हारा परिवार जब तक इस तीर, चरण–चिह्न तथा संतों–साधुओं की सेवा करता रहेगा तुम्हारा परिवार बेल की तरह फलता फूलता रहेगा।

तुम्हारे परिवार का प्रत्येक बच्चा सरदार होगा जोकि सासाराम का सरदार कहलाएगा। जिस दिन सेवा से मुंह मोड़ोगे अधोगति को प्राप्त हो जाओगे। गुरू तेग बहादुर साहिब से भेंट के रूप में प्राप्त तीर, तथा चरण चिह्न आज भी उनके वंशज परिवार के पास सुरक्षित है जिसके दर्शन किए जा सकते हैं।

गुरू साहिब के आशीर्वचनों को प्राप्त कर भईया सिंह लौट आए तब से भईया सिंह का परिवार "सरदार परिवार" के नाम से विख्यात है। जहां यह परिवार बसा है वह स्थान सासाराम शहर के "सरदार टोली" नामक मोहल्ले के नाम से जाना जाता है ।

सरदार भईया सिंह के वंशज सरदार भगवान सिहं तथा उनका परिवार आज भी 350 वर्ष पुराने घर में रह रहे हैं।

कुलदीप सिंह खुराना
सेवानिवृत्त मुख्य प्रबंधक

सरदार भईया सिंह के वंशज स. गुरमीत सिंह – सासाराम, बिहार से भेंट–वार्ता के दौरान प्राप्त जानकारी के अनुसार।

कार्टून कोना

देवेन्द्र कुमार, प्रधान कार्यालय, राजभाषा विभाग

भारती

बाबा साहब : बहुआयामी व्यक्तित्व

डॉ. भीमराव अंबेडकर एक ऐसा नाम जिसे हम भारतीय इतिहास के पन्नों से कभी अलग नहीं कर सकते। ज्ञान के प्रतीक डॉ. भीमराव अंबेडकर, जिन्हें राजनीतिक चश्मों नें केवल दलितों/पिछड़ों के मसीहा के रूप में ही देखा। भारतीय सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान को सदैव अनदेखा किया गया। हम सभी जानते हैं कि बाबा साहब ने दलितों/पिछड़ों के लिए जो संघर्ष किया, उनके अधिकारों के लिए संपूर्ण भारतीय समाज से भिड़ गए उन्हें हम कैसे विस्मृत कर सकते हैं। किंतु हम उनके द्वारा अर्जित ज्ञान और भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आदि को भुला दिया और केवल दलितों के मसीहा तक उनकी प्रतिभा को सीमित कर दिया। हम अपनी नई पीढ़ी को यह तो बताते हैं कि बाबा साहब ने दलितों के लिए संघर्ष किया, लेकिन किताबों/पाठ्यक्रमों में उनकें द्वारा भारत निर्माण में किए महत्वपूर्ण योगदानों को स्थान नहीं दिया। आश्चर्य की बात है कि जब बाबा साहब की अन्य उपलब्धियों के बारे में खोज करने की कोशिश की गई तो केवल एक–एक लाइन में उनकी उपलब्धियों को गिना दिया गया जबकि उनके दलित नेता के रूप में ढेरों सामग्री उपलब्ध हो गई। मैंने अपने इस लेख के माध्यम से यह प्रयास किया है कि बाबा साहब के जीवन के जिन पहलुओं को अब तक अनदेखा किया गया उन्हें आपके समक्ष रख सकूं।

देश के संविधान को आकार देने वाले डॉ. भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल साल 1891 में हुआ था। उनके पिताजी ने बाबा साहब का मूल उपनाम सकपाल की बजाय आंबडवेकर लिखवाया था, जो कि उनके आंबडवे गांव से संबंधित था। क्योंकि कोकण प्रांत के लोग अपना उपनाम गांव के नाम से रखते थे, अतः अंबेडकर के आंबडवे गांव से आंबडवेकर उपनाम स्कूल में दर्ज करवाया गया। बाद में उनके शिक्षक कृष्णा महादेव अंबेडकर जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे, उन्होंने उनका नाम से 'आंबडवेकर' हटाकर अपना सरल 'अंबेडकर' उपनाम जोड़ दिया। जोकि एक उच्च जाति से संबंध रखते थे। चूंकि शिक्षक के लिए सभी विद्यार्थी समान होते हैं, भेदभाव नाम का शब्द उनके शब्दकोश में नहीं होता और न ही होना चाहिए। उनके स्नेह और साथ से बाबा साहब आगे बढ़े। तब से आज तक वे अंबेडकर नाम से जाने जाते हैं। वे नौ भाषाओं के जानकार थे। इन्हें देश–विदेश के कई विश्वविद्यालयों से पीएचडी की कई मानद उपाधियां मिली थीं, इनके पास कुल 32 डिग्रियां थीं। 1912 तक, उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में कला स्नातक (बी०ए०) प्राप्त की जून 1915 में उन्होंने अपनी कला स्नातकोत्तर परीक्षा पास की, जिसमें अर्थशास्त्र प्रमुख विषय,

और समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शनशास्त्र और मानव विज्ञान यह अन्य विषय थे। 1916 में, उन्हें अपना दूसरा शोध कार्य, नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया – ए हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्टडी के लिए दूसरी कला स्नातकोत्तर प्रदान की गई, और अन्ततः उन्होंने लंदन की राह ली। 1916 में अपने तीसरे शोध कार्य इवोल्युशन ओफ प्रोविन्शिअल फिनान्स इन ब्रिटिश इंडिया के लिए अर्थशास्त्र में पीएचडी प्राप्त की, अपने शोध कार्य को प्रकाशित करने के बाद 1927 में अधिकृत रुप से पीएचडी प्रदान की गई। 9 मई को, उन्होंने मानव विज्ञानी अलेक्जेंडर गोल्डनवेइजर द्वारा आयोजित एक सेमिनार में भारत में जातियां: उनकी प्रणाली, उत्पत्ति और विकास नामक से एक शोध पत्र प्रस्तुत किया, जो उनका पहला प्रकाशित पत्र था। 3 वर्ष तक की अवधि के लिए मिली हुई छात्रवृत्ति का उपयोग उन्होंने केवल दो वर्षों में अमेरिका में पाठ्यक्रम पूरा करने में किया और अक्टूबर 1916 में, ये लंदन चले गए और वहाँ उन्होंने ग्रेज इन में बैरिस्टर कोर्स (विधि अध्ययन) के लिए प्रवेश लिया, और साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी प्रवेश लिया जहां उन्होंने अर्थशास्त्र की डॉक्टरेट थीसिस पर काम करना शुरू किया। 1921 में विज्ञान स्नातकोत्तर (एम०एससी०) प्राप्त की। 1923 में, उन्होंने अर्थशास्त्र में डी०एससी० (डॉक्टर ऑफ साईंस) उपाधि प्राप्त की। उनकी थीसिस "दी प्राब्लम आफ दि रुपीः इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन" (रुपये की समस्याः इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान) पर थी। लंदन का अध्ययन पूर्ण कर भारत वापस लौटते हुये भीमराव आम्बेडकर तीन महीने जर्मनी में रुके, जहाँ उन्होंने अपना अर्थशास्त्र का अध्ययन, बॉन विश्वविद्यालय में जारी रखा। किंतु समय की कमी से वे विश्वविद्यालय में अधिक नहीं ठहर सकें। उनकी तीसरी और चौथी डॉक्टरेट्स (एलएल०डी०, कोलंबिया विश्वविद्यालय, 1952 और डी०लिट०, उस्मानिया विश्वविद्यालय, 1953) सम्मानित उपाधियाँ थीं। श्रेष्ठ चिंतक, ओजस्वी लेखक तथा वक्ता स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉ. भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाबा साहेब को भारतीय संविधान का आधारस्तंभ माना जाता है बी.आर. अंबेडकर को आजादी के बाद संविधान निर्माण के लिए 29 अगस्त, 1947 को संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। फिर उनकी अध्यक्षता में दो वर्ष, 11 माह, 18 दिन के बाद संविधान बनकर तैयार हुआ। दुर्भाग्य की बात है कि अप्रतिम प्रतिभा को 1990 में भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था।

इंग्लैंड की विश्व प्रसिद्ध ऑक्सफॉर्ड यूनिवर्सिटी के मुख्य दरवाजे के अंदर की तरफ बाबा साहब का फोटो लगाया हुआ है। जिस पर लिखा है, "हमे गर्व है कि ऐसा छात्र हमारी युनिवर्सिटी से पढ़कर गया है और उसने भारत का संविधान लिखकर उस देशपर बड़ा उपकार किया है !"

कोलंबिया युनिवर्सिटी के 300 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक सर्वे किया गया जिसमें यह पूछा गया कि इतने वर्षों में इस युनिवर्सिटी का सबसे होनहर छात्र कौन था ? अतः उस सर्वे मे 6 नाम सामने आए जिनमें सर्वप्रथम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान मे युनिवर्सिटी के मुख्य दरवाजे पर उनकी ब्रॉन्ज कि प्रतिमा लगायी गयी तथा उस प्रतिमा का अनावरण अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के करकमलो से किया गया। उस प्रतिमा के नीचे लिखा गया है, "सिम्बॉल ऑफ नॉलेज" अर्थात् ज्ञान का प्रतीक।

पूरे विश्व में बाबा साहब के ज्ञान को सम्मान दिया जाता है जबकि अपने ही देश में उनके सम्मान को चोट पहुंचाई जाती है। क्योंकि हमारा समाज उन्हें केवल जातिवादी चश्मों से देखता है। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है।

1923 में बम्बई उच्च न्यायालय में वकालत शुरु की। अनेक कठिनाईयों के बावजूद अपने कार्य में निरंतर आगे बढते रहे। एक मुकदमे में उन्होने अपने ठोस तर्कों से अभियुक्त को फांसी की सजा से मुक्त करा दिया था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया। इसके पश्चात बाबा साहेब की प्रसिद्धी चारों ओर फैल गई।

डॉ अंबेडकर ने मुख्यधारा के महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों की जाति व्यवस्था के उन्मूलन के प्रति उनकी कथित उदासीनता की कटु आलोचना की। अंबेडकर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी जी की वैचारिक आधार पर आलोचना की, उन्होने उन पर अस्पृश्य समुदाय को एक करुणा की वस्तु के रूप मे प्रस्तुत करने का आरोप लगाया। अंबेडकर ब्रिटिश शासन की विफलताओं से भी असंतुष्ट थे, उन्होने अस्पृश्य समुदाय के लिए एक ऐसी अलग राजनैतिक पहचान की वकालत की जिसमे कांग्रेस और ब्रिटिश दोनों का ही कोई दखल ना हो। 8 अगस्त, 1930 को एक शोषित वर्ग के सम्मेलन के दौरान अंबेडकर ने अपनी राजनीतिक दृष्टि को दुनिया के सामने रखा, जिसके अनुसार शोषित वर्ग की सुरक्षा उसके सरकार और कांग्रेस दोनों से स्वतंत्र होने मे है।

हमें अपना रास्ता स्वयं बनाना होगा और केवल राजनीतिक शक्ति शोषितो की समस्याओं का निवारण नहीं हो सकती, उनका उद्धार समाज मे उनका उचित स्थान पाने मे निहित है। उनको अपना रहने का तरीका बदलना होगा। उनको शिक्षित होना चाहिए। एक

बड़ी आवश्यकता उनकी हीनता की भावना को झकझोरने, और उनके अंदर उस दैवीय असंतोष की स्थापना करने की है जो सभी ऊँचाइयों का स्रोत है।"

डॉ. अंबेडकर की लोकतंत्र में गहरी आस्था थी। वह इसे मानव की एक पद्धति मानते थे। उनकी दृष्टि में राज्य एक मानव निर्मित संस्था है। इसका सबसे बडा कार्य "समाज की आन्तरिक अव्यवस्था और बाह्य अतिक्रमण से रक्षा करना है। परन्तु वे राज्य को निरपेक्ष शक्ति नहीं मानते थे। उनके अनुसार– "किसी भी राज्य ने एक ऐसे अकेले समाज का रूप धारण नहीं किया जिसमें सब कुछ आ जाए या राज्य ही प्रत्येक विचार एवं क्रिया का स्रोत हो।"

29 अगस्त 1947 को, अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना कि लिए बनी के संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। अंबेडकर ने मसौदा तैयार करने के इस काम मे अपने सहयोगियों और समकालीन प्रेक्षकों की प्रशंसा अर्जित की। अंबेडकर ने हालांकि उनके संविधान को आकार देने के लिए पश्चिमी मॉडल इस्तेमाल किया है पर उसकी भावना भारतीय है।

अंबेडकर द्वारा तैयार किया गया संविधान पाठ मे संवैधानिक गारंटी के साथ व्यक्तिगत नागरिकों को एक व्यापक श्रेणी की नागरिक स्वतंत्रताओं की सुरक्षा प्रदान की जिनमें, धार्मिक स्वतंत्रता, अस्पृश्यता का अंत और सभी प्रकार के भेदभावों को गैर कानूनी करार दिया गया। अंबेडकर ने महिलाओं के लिए व्यापक आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की वकालत की, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए सिविल सेवाओं, स्कूलों और कॉलेजों की नौकरियों मे आरक्षण प्रणाली शुरू के लिए सभा का समर्थन भी हासिल किया, भारत के विधि निर्माताओं ने इस सकारात्मक कार्यवाही के द्वारा दलित वर्गों के लिए सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के उन्मूलन और उन्हे हर क्षेत्र मे अवसर प्रदान कराने की चेष्टा की जबकि मूल कल्पना मे पहले इस कदम को अस्थायी रूप से और आवश्यकता के आधार पर शामिल करने की बात कही गयी थी। 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपना लिया। अपने काम को पूरा करने के बाद, अंबेडकर ने कहा :

मैं महसूस करता हूँ कि संविधान, साध्य (काम करने लायक) है, यह लचीला है पर साथ ही यह इतना मजबूत भी है कि देश को शांति और युद्ध दोनों के समय जोड़ कर रख सके। वास्तव में, मैं कह सकता हूँ कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण यह नही होगा कि हमारा संविधान खराब था बल्कि इसका उपयोग करने वाला मनुष्य अधम था।

अंबेडकर की प्रतिष्ठा एक अद्वितीय विद्वान और विधिवेत्ता की थी जिसके कारण जब, 15 अगस्त, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद, कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार अस्तित्व मे आई तो उसने अंबेडकर को देश का पहले कानून मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल में डॉ. अंबेडकर कानून मंत्री बने और नेहरू की पहल पर उन्होंने हिंदू कोड बिल तैयार किया, इस मसौदे मे उत्तराधिकार, विवाह और अर्थव्यवस्था के कानूनों में लैंगिक समानता की मांग की गयी थी। हालांकि प्रधानमंत्री नेहरू, कैबिनेट और कई अन्य कांग्रेसी नेताओं ने इसका समर्थन किया पर संसद सदस्यों की एक बड़ी संख्या इसके खिलाफ थी। अतः इस बिल को लेकर भी उन्हें जबर्दस्त विरोध झेलना पड़ा। इस मुद्दे पर मतभेद इस कदर बढ़े कि अंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि बाद में हिंदू कोड बिल पास हुआ और उससे हिंदू महिलाओं की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव भी आया, लेकिन अंबेडकर के बिल से ये कई मामलों में लचीला था। इस अंबेडकर ने 1952 में लोक सभा का चुनाव एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप मे लड़ा पर हार गये। मार्च 1952 मे उन्हें संसद के ऊपरी सदन यानि राज्य सभा के लिए नियुक्त किया गया और इसके बाद उनकी मृत्यु तक वो इस सदन के सदस्य रहे।

डॉ. भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का विरोध किया, जिसने जम्मू–कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया, और जिसे उनकी इच्छाओं के खिलाफ संविधान में शामिल किया गया था। बलराज माधोक ने कहा था कि, डॉ. भीमराव अंबेडकर ने कश्मीरी नेता शेख अब्दुल्ला को स्पष्ट रूप से बताया थाः "आप चाहते हैं कि भारत को आपकी सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए, उसे आपके क्षेत्र में सड़कों का निर्माण करना चाहिए, उसे आपको अनाज की आपूर्ति करनी चाहिए, और कश्मीर को भारत के समान दर्जा देना चाहिए। लेकिन भारत सरकार के पास केवल सीमित शक्तियां होनी चाहिए और भारतीय लोगों को कश्मीर में कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। इस प्रस्ताव को सहमति देने के लिए, मैं भारत के कानून मंत्री के रूप में इसे स्वीकार नहीं कर सकत। यह भारत की जनता के हितों के होगा। किंतु फिर भी यह कानून अस्तित्व में आ गया।

डॉ. भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत की नीतियों के प्रणेता रहे। भारत के नागरिकों और शासन को उनका सराहनीय योगदान मिला। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केन्द्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। इसकी स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडियां एक्ट

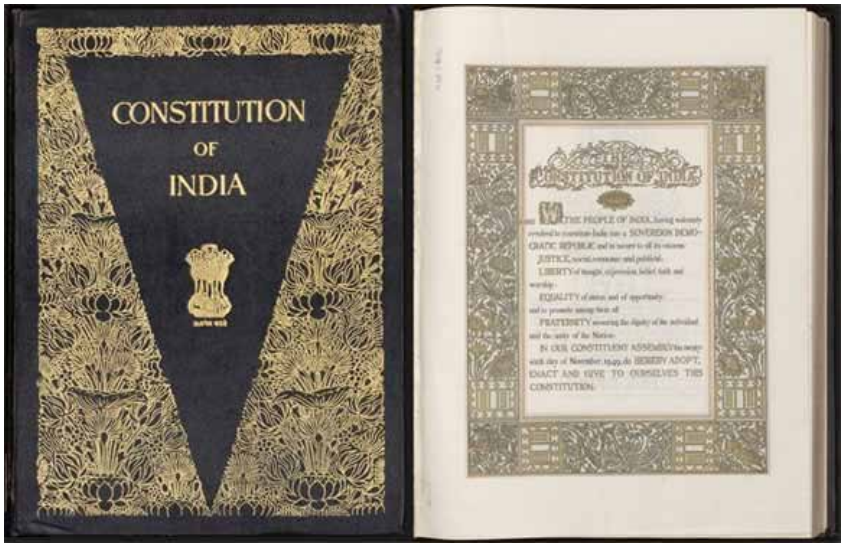

1934 के अनुसार हुई। भारत के अर्थशास्त्री डॉ. भीमराव अंबेडकर ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके द्वारा प्रदान किए गए दिशानिर्देशों के आधार पर ही आरबीआई का गठन किया गया। बाबा साहब ने हिल्टन यंग कमीशन के आगे बैंक की कार्यप्रणाली के संबंध में सुझाव दिए। 1926 में यह कमीशन ऑफ रॉयल इंडियन करेंसी एण्ड फायनेंस के नाम से भारत में आया। तब इसके सदस्यों ने बाबा साहब द्वारा लिखी पुस्तक 'द प्रोब्लम ऑफ दी रूपी–इट्स ऑरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन' की जोरदार वकालत की। अतः ब्रिटिश वैधानिक सभा ने इसे कानूनी रूप देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 शीर्षक दिया।

जल एक प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है। जल संसाधन का संपूर्ण मानव जीवन, मानव सभ्यता एवं संस्कृति से निकट तथा बहुत गहरा संबंध है। भारत निरंतर विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। विकास के लिए जल संसाधन का क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। इसी दृष्टि से डॉ. बी.आर.अंबेडकर ने सन् 1943 से 1946 के दौरान वायसराय के मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होने ही बहुद्देशीय नदी घाटी विकास, जल संसाधन का उपयोग, रेलवे और जल मार्ग, तकनीकी बिजली बोर्ड का निर्माण, केंद्रीय जलमार्ग, सिंचाई तथा नैचालन आयोग, केन्द्रीय जल आयोग, दामोदर नदी घाटी निगम, हीराकुण्ड बांध का निर्माण और सोन नदी परियोजना प्रारंभ करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इतना हीं नहीं बाबा साहब भारतीय अर्थ्व्यवस्था का प्रसार करने में भी अग्रसर रहे। देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने हेतु औद्योगिकरण और कृषि उद्योग की वृद्धि और विकास के लिए लोगों को बढ़ावा दिया। उन्होंने खाद्य सुरक्षा की प्राप्ति के सुझाव सरकार को दिए। अपनी मूलभूत जरुरत के रूप में इन्होंने लोगों को अच्छी शिक्षा, स्वच्छता और समुदायिक स्वास्थ्य के लिए बढ़ावा दिया। इन्होंने भारत की वित्त कमीशन की स्थापना की थी। भारत में रोजगार कार्यालय की स्थापना भी डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की वजह से हुई थी। भारत में स्वतंत्र चुनाव आयोग इन्हीं की देन है। वायसराय की कौंसिल में श्रम मंत्री की हैसियत से श्रम कल्याण के लिए श्रमिकों की 12 घण्टे से घटाकर 8 घण्टे करवाया। कार्य–समय, समान कार्य समान वेतन, प्रसूति अवकाश, संवैतनिक अवकाश, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, स्वास्थ्य सुरक्षा, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 बनाना, मजदूरों एवं कमजोर वर्ग के हितों के लिए तथा सीधे सत्ता में भागीदारी के लिए स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया। कर्मचारी राज्य बीमा के तहत स्वास्थ्य, अवकाश, अपंग–सहायता, कार्य करते समय आकस्मिक घटना से हुये नुकसान की भरपाई करने और अन्य अनेक सुरक्षात्मक सुविधाओं को श्रम कल्याण के अंतर्गत शामिल किया।कर्मचारियों को दैनिक भत्ता, अनियमित कर्मचारियों को अवकाश की सुविधा, कर्मचारियों के वेतन श्रेणी की समीक्षा, भविष्य निधि, कोयला खदान तथा माईका खनन में कार्यरत कर्मियों को सुरक्षा संशोधन विधेयक सन 1944 में पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय सांख्यिकी अधिनियम पारित कराया ताकि श्रम की दशा, दैनिक मजदूरी, आय के अन्य स्रोत, मुद्रा–स्फीति, ऋण, आवास, रोजगार, जमापूंजी तथा अन्य निधि व श्रम विवाद से संबंधित नियमों का आसानी से क्रियान्वयन हो सके। श्रमिकों के कल्याणार्थ स्वास्थ्य बीमा योजना, भविष्य निधि अधिनियम, कारखाना संशोधन अधिनियम, श्रमिक विवाद अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और विधिक हडताल के अधिनियमों को स्वीकृत करवाया। महिलाओं को प्रसूति अवकाश का अधिकार भी भी अंबेडकर जी की देन है।

बाबा साहब ने अपना सारा जीवन हमको पशु से इन्सान बनाने के लिए बलिदान कर दिया। उन्होंने अपने पारिवारिक जीवन को ताक पर रखकर हमें जीने का अधिकार दिलाया। बाबा साहब की जयंती भारत के अलावा 65 देशों में मनाई जाती है। भारत में उनकी जयंती के नाम पर केवल खाना पूर्ति ही की जाती है। हम उनके असीम योगदान को भूल गए और याद रह गए केवल दलित मसीहाः बाबा साहब अंबेडकर।

आंचलिक कार्यालय लुधियाना

स्थापना दिवस विशेष

हमारे संस्थापक

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

Punjab & Sind Bank

(A Govt. of India Undertaking)

जहाँ सेवा ही जीवन - ध्येय है

Where service is a way of life

कोरोना वायरस से खुद को बचाएं

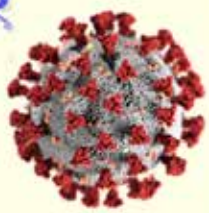

क्या करें

- व्यक्तिगत स्वच्छता और शारीरिक दूरी बनाए रखें।
- बार-बार हाथ धोने की आदत डालें। साबुन और पानी से हाथ धोएं या अल्कोहल-आधारित हैंड रब का इस्तेमाल करें।
- छींकते और खाँसते समय अपनी नाक और मुँह को रूमाल या टिशू से ढंकें।
- उपयोग किए गए टिशू को उपयोग के तुरंत बाद बंद डिब्बे में फेंकें।
- बातचीत के दौरान व्यक्तियों से एक सुरक्षित दूरी बनाए रखें, विशेष रूप से फ्लू जैसे लक्षण दिखने वाले व्यक्तियों के साथ।
- अपनी कोहनी के अंदरूनी हिस्से में छींके।
- अपने तापमान और श्वसन लक्षणों की जाँच नियमित रूप से करें। अस्वस्थ (बुखार, सांस लेने में कठिनाई और खाँसी) महसूस करने पर डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर से मिलने के दौरान अपने मुँह और नाक को ढंकने के लिए मास्क का प्रयोग करें।
- किसी भी बुखार/फ्लू जैसे संकेत/लक्षण होने पर राज्य के हेल्पलाइन नंबर या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की 24x7 हेल्पलाइन नंबर 011-23978046 पर कॉल करें।

क्या नहीं करें

- हाथ न मिलाएं।
- अगर आपको खांसी और बुखार महसूस हो रहा है तो किसी के साथ निकट संपर्क में न आएं।
- अपनी आँख, नाक और मुँह को स्पर्श न करें।
- हाथों की हथेलियों में न छींके और न ही खासें।
- सार्वजनिक स्थल पर न थूकें।
- अनावश्यक यात्रा न करें, विशेषकर प्रभावित इलाकों में।
- समूह में न बैठें, बड़े समारोहों में भाग न लें।
- जिम, क्लब और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर न जाएं।
- अफवाह और दहशत न फैलाएं।